रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21, 1942 शक संवत्)[संख्या 49**

## विषय-सूची

**हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।**


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य | | रु0 |
| भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस | 1351–1390 | 3075 |
| भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया | 919–932 | 1500 |
| भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | . . | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत | . . | 975 |
| भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | . . | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश | | 975 |
| भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट | | |
| भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट | | |
| भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां | 323–326 | |
| भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि | 729–770 | 975 |
| स्टोर्स–पचैज विभाग का क्रोड़ पत्र | . . | 1425 |

# भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

## गृह विभाग

(गोपन)

अनुभाग-4

प्रोन्नति/नियुक्ति

31 जुलाई, 2020 ई0

सं0 51 रा0/20-7/11/2020-सी0एक्स0-4—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय, राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम-16(1) के अधीन गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर राज्यपाल सचिवालय निजी सचिव सेवा के अधिकारी, श्री दिनेश चन्द्र पंत, निजी सचिव श्रेणी-1 को निजी सचिव श्रेणी-2, वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01 जुलाई, 2020 से प्रोन्नत कर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 52 रा0/20-7/12/2020-सी0एक्स0-4—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय, राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम-16(1) के अधीन गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर राज्यपाल सचिवालय निजी सचिव सेवा के अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र सिंह, निजी सचिव श्रेणी-2 को निजी सचिव श्रेणी-3, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01 जुलाई, 2020 से प्रोन्नत कर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 28/2020/1560/छः पु0से0-1-2020-02 डी0पी0सी0(एचएल-1)/2020—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को चयन वर्ष 2020-2021 में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13-क, रु0 1,31,100-2,16,600) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है—

| क्र0सं0 | अधिकारी का नाम | ज्येष्ठता क्रमांक | आवंटन वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री पंकज कुमार पाण्डेय | 87 | 1992 |
| 2 | डा0 श्रीप्रकाश द्विवेदी | 88 | 1992 |
| 3 | श्री सर्वानन्द सिंह यादव | 90 | 1992 |
| 4 | श्री जियालाल यादव | 91 | 1992 |
| 5 | श्री हरदयाल सिंह | 93 | 1992 |
| 6 | श्री हफीजुर रहमान | 94 | 1992 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7 | श्री रमेश प्रसाद गुप्ता | 95 | 1992 |
| 8 | श्री वीरेन्द्र कुमार यादव | 96 | 1992 |
| 9 | श्री केशव चन्द्र गोस्वामी | 97 | 1992 |
| 10 | श्री हबीबुल हसन | 98 | 1992 |
| 11 | श्री ओमवीर सिंह | 99 | 1992 |
| 12 | श्री राजेश कुमार यादव | 100 | 1992 |
| 13 | श्रीमती बबीता साहू | 101 | 1992 |
| 14 | श्री लल्लन प्रसाद | 103 | 1992 |
| 15 | श्री राजधारी चौरसिया | 104 | 1992 |
| 16 | श्री विनोद कुमार | 105 | 1992 |
| 17 | श्री ओम प्रकाश यादव | 106 | 1992 |
| 18 | श्री महात्मा प्रसाद | 107 | 1992 |
| 19 | श्री प्रबल प्रताप सिंह | 108 | 1992 |
| 20 | श्री राजेश कुमार | 109 | 1992 |
| 21 | श्री दयाराम | 110 | 1992 |

2—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 29/2020/1561/छः पु0से0-1-2020-01 डी0पी0सी0(एचएल-2)/2020—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 12, रु0 78,800-2,09,200) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को चयन वर्ष 2020-2021 में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है—

| क्र0सं0 | अधिकारी का नाम | ज्येष्ठता क्रमांक | आवंटन वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री लाल साहब यादव | 102 | 1992 |
| 2 | श्री दुर्गेश कुमार | 159 | 1994 |
| 3 | श्री विनोद कुमार पाण्डेय | 160 | 1994 |
| 4 | श्री नीरज कुमार पाण्डेय | 161 | 1994 |
| 5 | श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी | 162 | 1994 |
| 6 | श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय | 163 | 1994 |
| 7 | श्री बजरंग बली | 164 | 1994 |
| 8 | श्री दिनेश यादव | 165 | 1994 |
| 9 | श्री रामयश सिंह | 166 | 1994 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10 | श्री दिगम्बर कुशवाहा | 167 | 1994 |
| 11 | श्री समीर सौरभ | 169 | 1994 |
| 12 | मो0 इरफान अंसारी | 171 | 1994 |
| 13 | श्री प्रेमचन्द्र | 174 | 1994 |
| 14 | श्री कमलेश बहादुर | 176 | 1994 |
| 15 | श्री राकेश कुमार सिंह | 177 | 1995 |
| 16 | श्री संसार सिंह | 178 | 1995 |
| 17 | श्री लाल भरत कुमार पाल | 179 | 1995 |
| 18 | श्रीमती रश्मि रानी | 180 | 1995 |
| 19 | श्री सुभाष चन्द गंगवार | 181 | 1995 |
| 20 | श्री अनिल कुमार यादव | 182 | 1995 |
| 21 | श्री संजय कुमार | 183 | 1995 |

2—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

26 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 30/1627/छः पु0से0-1-2020-03 डी0पी0सी0 (एसएल-2)/2019—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में कार्यरत अधिकारियों की अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2020 में श्री विद्यासागर मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध तत्समय विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उनके सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी।

2—श्री विद्यासागर मिश्र के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या 1395/छः पु0से0-1-2020-09(74)/2018, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के नियम-7 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति की मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुति का अनावरण किया गया।

3—मुहरबन्द लिफाफे में की गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में श्री विद्यासागर मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक (ज्येष्ठता क्रमांक-134) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किये जाने एवं इनके सन्निकट कनिष्ठ श्री घनश्याम (ज्येष्ठता क्रमांक-135) की इस वेतनमान में प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4—श्री विद्यासागर मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री विद्यासागर मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक की प्रोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

## प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

06 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 451/सोलह-2-2020—प्राविधिक शिक्षा विभाग, (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता टेक्सटाइल केमिस्ट्री के 02 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता टेक्सटाइल केमिस्ट्री के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

| क्र0सं0 | अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम | स्थायी पता | तैनाती की संस्था |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री अंजली पटेल पुत्री श्री नरेश चंद्र पटेल | ग्राम तथा पोस्ट-ताहपुर, थाना-तालिग्राम, तहसील-छिबरामऊ, जिला-कन्नौज, उत्तर प्रदेश। | राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर। |

2—सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—सम्बन्धित अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—सम्बन्धित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

10 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1552/सोलह-2-2020—प्राविधिक शिक्षा विभाग, (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता अंग्रेजी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से

प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्र0सं0 | अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम | गृह जनपद | तैनाती की संस्था |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री शरद कुमार पुत्र श्री विक्रम सिंह | बिजनौर | राजकीय पालीटेक्निक, मोहम्मदपुर, बहराइच। |
| 2 | सुश्री प्रियंका भारद्वाज पुत्री श्री योगेश कुमार शर्मा | फिरोजाबाद | राजकीय पालीटेक्निक, बरगढ़, चित्रकूट। |
| 3 | श्री अनुज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल | मुरादाबाद | राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर। |
| 4 | श्री प्रमोद कुमार गोंड पुत्र श्री ओम प्रकाश गोंड | वाराणसी | राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर। |
| 5 | सुश्री कंचन यादव पुत्री श्री वशिष्ठ यादव | गाजीपुर | राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद। |
| 6 | सुश्री रूपाली पुत्री श्री अशोक कुमार | रायबरेली | राजकीय पालीटेक्निक, नन्दापुर, फतेहपुर। |
| 7 | सुश्री दीप्ति गुप्ता पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता | आगरा | राजकीय पालीटेक्निक, मानिकपुर, चित्रकूट। |
| 8 | सुश्री वर्तिका दीक्षित पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा | उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) | एम0एम0आई0टी0, श्रावस्ती। |
| 9 | श्री कौशलेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र पाल सिंह | इटावा | बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय पालीटेक्निक, औरैया। |
| 10 | श्री मनोज कुमार भारती पुत्र स्व0 रूखी राम | बलिया | राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर। |
| 11 | सुश्री सिदरा पुत्री मो0 अतहर | बरेली | राजकीय महिला पालीटेक्निक, बभनी, रिसियां, नानपारा, बहराइच। |
| 12 | सुश्री आकांक्षा राजपूत पुत्री श्री ब्रह्मानन्द राजपूत | लखनऊ | राजकीय पालीटेक्निक, फर्रूखाबाद। |
| 13 | सुश्री भुवनेश्वरी पुत्री श्री एस0एल0 आजाद | बरेली | राजकीय पालीटेक्निक, पीलीभीत। |
| 14 | श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री प्रेम पाल सिंह | अलीगढ़ | महामाया पालिटेक्निक ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, हाथरस। |
| 15 | सुश्री नैंसी पुत्री श्री यशवन्त सिंह | झांसी | राजकीय पालीटेक्निक, तालबेहट (ललितपुर)। |
| 16 | सुश्री रीतु पुत्री श्री राजेश कुमार | मुजफ्फरनगर | चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक, दौराला (मेरठ)। |
| 17 | श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद | औरैया | राजकीय पालीटेक्निक, सिकन्द्रा (कानपुर देहात)। |

2—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव।

# सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

नियुक्ति

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1046/सत्ताईस-13-2020-2/16 टीसी 2—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को श्री राज्यपाल सहायक अभियन्ता (सिविल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुये अस्थायी रूप से उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा उन्हें निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित उपखण्ड/खण्ड में तैनात करते हैं—

| क्र0 | चयन का क्र0 | नाम/पिता का नाम | जन्म-तिथि | अनुक्रमांक | गृह जनपद | स्थाई पता | पत्र व्यवहार का पता | नियुक्ति हेतु पदस्थापित कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 181 | श्री मोहित कुमार गुप्ता/ श्री कपूर चंद गुप्ता | 25-03-1990 | 9178 | मऊ | कपूर चंद गुप्ता, 48 मलकौली, परसूपुर मऊ-275307 | नंद मेडिकल हाल, स्टेशन रोड, बलिया-221715 | बाढ़ खण्ड, बलिया (चतुर्थ उपखण्ड)। |

2—उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 2381/2019, निखिल उपाध्याय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2611/2019, सत्य प्रकाश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2879/2019, मो0 वसीम रजा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2713/2019, रवीश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2982/2019, गौरव वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2612/2019, मुकुन्द कान्त शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2613/2019, देवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2615/2019, राजेन्द्र प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 3322/2019, हरीश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2811/2019, अरूण कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 841/2014, पंकज मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 2811/2019, अरनव कुमार दत्त व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3—उक्त नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

4–यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

5–उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

6–अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

7–उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

8–अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें।

9–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित मण्डल/खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उसके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(1) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(2) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(3) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

## सहकारिता विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1411/49-2-2020-26(7)/2019–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री रजनीश प्रताप सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान, रु0 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 (छठा वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्र0 | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | स्थायी पता | नियुक्ति का पद/स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 438104 | श्री रजनीश प्रताप सिंह | श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह | दलऊ चौहान का पुरवा, कटरा गुलाब सिंह, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश. 230402, मो0नं0.9559164565 | सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)। |

2–उपरोक्त अभ्यर्थी उ0प्र0 सहकारी सेवानियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

3–जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर लेगें, तभी उन्हें भविष्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतन्त्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4–उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5–उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हेतु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6–उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7–भविष्य में चरित एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

सं0 1597/49-2-2020-26(7)/2019–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री देवेन्द्र वर्मन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान, रु0 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 (छठा वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्र0 | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | स्थायी पता | नियुक्ति का पद/स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08 | 036253 | श्री देवेन्द्र वर्मन | श्री गंगा शरण वर्मन | ए-110, देवलोक कालोनी, स्पोर्टस काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ, उ0प्र0-250002, मो0नं0-9990684648 | सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)। |

2–उपरोक्त अभ्यर्थी उ0प्र0 सहकारी सेवानियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

3–जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर लेगें, तभी उन्हें भविष्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतन्त्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4–उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5–उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हेतु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6–उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7–भविष्य में चरित एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

सं0 1598/49-2-2020-26(7)/2019–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अजय कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान, रु0 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 (छठा वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्र0 | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | स्थायी पता | नियुक्ति का पद/स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 | 179677 | श्री अजय कुमार | श्री पन्ना लाल | 41, सरोज सदन, प्रयागराज, सहकारी आवास समिति, चक हरिहरवन, सरायतकी, झूंसी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211019, मो0नं0-8527436613 | सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)। |

2–उपरोक्त अभ्यर्थी उ0प्र0 सहकारी सेवानियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

3–जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर लेगें, तभी उन्हें भविष्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतन्त्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4–उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5–उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हेतु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6–उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7–भविष्य में चरित एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

8–उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति इस शर्त के भी अधीन है कि यदि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां एवं इनके सम्बन्ध में वांछित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त यदि इनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

सं0 1599/49-2-2020-26(7)/2019–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री इन्दू को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान, रु0 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 (छठा वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्र0 | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | स्थायी पता | नियुक्ति का पद/स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 240931 | सुश्री इंदू | श्री रणधीर सिंह | मवईया, सुईथोक, फुफुवार हाथीगाँव, जिला कानपुर नगर, उ0प्र0-209402, मो0नं0-8090411374 | सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)। |

2–उपरोक्त अभ्यर्थी उ0प्र0 सहकारी सेवानियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

3–जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर लेगें, तभी उन्हें भविष्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतन्त्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4–उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5–उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हेतु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6–उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन/नियुक्ती निरस्त कर दिया जायेगा।

7–भविष्य में चरित एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

सं0 1600/49-2-2020-26(7)/2019–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री वैशाली सिंह

को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान, रु0 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 (छठा वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्र0 | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | स्थायी पता | नियुक्ति का पद/स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | 176899 | सुश्री वैशाली सिंह | श्री बाल्मीक सिंह | 1/13/30 सिविल लाईन, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या, उ0प्र0-224001, मो0नं0-7838582330 | सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)। |

2–उपरोक्त अभ्यर्थी उ0प्र0 सहकारी सेवानियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

3–जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर लेगें, तभी उन्हें भविष्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतन्त्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4–उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5–उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हेतु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6–उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7–भविष्य में चरित एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

आज्ञा से,
एम0वी0एस0 रामी रेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

शुद्धि-पत्र

10 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 138/2020-4130-71-1-2020-जी-103/2018–शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 132/2020-3949-71-1-2020-जी0-103/2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, पी0एम0आर0 विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर 05 चिकित्सा शिक्षकों

की तैनाती विषयक आदेश निर्गत किये गये थे, के क्रमांक-3 पर अंकित डा0 मोहित किशोर श्रीवास्तव के स्थान पर डा0 मोहित किशारे श्रीवास्तव टंकित हो गया है।

2—अतएव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1 के उपर्युक्त आदेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के संलग्नक के तालिका के क्रमांक-3 पर अंकित डा0 मोहित किशारे श्रीवास्तव के स्थान पर मोहित किशोर श्रीवास्तव पढ़ा जाय। उपर्युक्त आदेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें।

आज्ञा से,
एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव।

## दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

अनुभाग-1

स्थायीकरण

11 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 डी0 एफ0 ए0 72533/65-1099/670/2019—निम्नलिखित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों द्वारा संतोषजनक रूप से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त उनके सम्मुख कॉलम-4 में अंकित तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा स्थायी किया जाता है :

| क्रमांक | जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों के नाम | मौलिक नियुक्ति | स्थायीकरण की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री संतोष कुमार | 28-06-2013 | 28-06-2015 |
| 2 | श्री कमलेश कुमार वर्मा | 30-03-2016 | 30-03-2018 |
| 3 | श्री अशोक कुमार गौतम | 15-03-2016 | 15-03-2018 |
| 4 | श्री तनुज त्रिपाठी | 03-10-2016 | 03-10-2018 |
| 5 | श्री चमन सिंह | 06-10-2016 | 06-10-2018 |
| 6 | श्री विकास शर्मा | 27-09-2016 | 27-09-2018 |
| 7 | सुश्री विद्या देवी | 01-05-2017 | 01-05-2019 |

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

## लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

13 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 186/2020/1724 सा0/23-1-20-136 सा0/20—जनपद-वाराणसी के मोहनसराय-अदलपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-10.680 किमी0) का नाम ''सरदार वल्लभ भाई पटेल'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 496/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-वाराणसी के मोहनसराय-अदलपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-10.680 किमी0) का नामकरण ''सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 187/2020/1845 सा0/23-1-20-136 सा0/20—जनपद-वाराणसी के मोहनसराय-अकेलवां लहरतारा वाया गंगापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-14.50 किमी0) का नाम ''श्री राजनारायण सिंह'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 496/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्

विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-वाराणसी के मोहनसराय-अकेलवां लहरतारा वाया गंगापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-14.50 किमी0) का नामकरण ''राजनारायण सिंह मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 188/2020/1846 सा0/23-1-20-136 सा0/20—जनपद-वाराणसी के खनांव टिकरी मार्ग से कुरहुआ होते हुये काशीपुर होते हुये तारापुर मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-2.00 किमी0) का नाम ''शहीद सार्जेन्ट विशाल कुमार पाण्डेय'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 496/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-वाराणसी के खनांव टिकरी मार्ग से कुरहुआ होते हुये काशीपुर होते हुये तारापुर मार्ग (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-2.00 किमी0) का नामकरण ''शहीद सार्जेन्ट विशाल कुमार पाण्डेय मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-8

स्थानान्तरण/तैनाती

17 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1859(1)/23-8-2020-1859/20—तात्कालिक प्रभाव से श्री मेघ प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर को स्थानान्तरित करते हुये निर्माण खण्ड-2 (प्र0प0) लोक निर्माण विभाग, खीरी में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—श्री मेघ प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
जे0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव।

## सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुभाग-1

स्थायीकरण

17 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 704/44-1-2020-16/1996—सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय, उ0प्र0 में शोध अधिकारी के स्थायी पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) की संस्तुति के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत अस्थायी निम्नलिखित शोध अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से उनके मौलिक रूप से नियुक्ति/पदोन्नति के पद पर स्थायी किया जाता है :

| क्र0सं0 | कार्मिक का नाम | नियुक्ति/पदोन्नति का पद | मौलिक नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि | परिवीक्षा अवधि | स्थायीकरण की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री असीम कुमार श्रीवास्तव | शोध अधिकारी | 16-06-2014 | 02 वर्ष | 15-06-2016 |
| 2 | श्री सत्येन्द्र नाथ यादव | शोध अधिकारी | 16-06-2014 | 02 वर्ष | 15-06-2016 |
| 3 | श्री सुरेन्द्र कुमार | शोध अधिकारी | 16-06-2014 | 02 वर्ष | 15-06-2016 |
| 4 | श्री प्रदीप कुमार | शोध अधिकारी | 16-06-2014 | 02 वर्ष | 15-06-2016 |
| 5 | श्री ओम प्रकाश यादव | शोध अधिकारी | 15-06-2015 | 02 वर्ष | 14-06-2017 |

2—उपर्युक्त स्थायीकरण का सम्बन्धित अधिकारी की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

# सूचना विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

18 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1280/उन्नीस-1-2020-32/2003 टी0सी0-I—श्री प्रमोद कुमार, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11) में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री प्रमोद कुमार को उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

सं0 1281/उन्नीस-1-2020-32/2003 टी0सी0-I—श्री ओम प्रकाश राय, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11) में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री ओम प्रकाश राय को उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

सं0 1282/उन्नीस-1-2020-32/2003 टी0सी0-I—श्री विकास सक्सेना, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10) में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री विकास सक्सेना को नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

# राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

शुद्धि-पत्र/संशोधन

11 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-976/11-2020-12/2020—शासन की विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश संख्या राज्य कर-1-933-61/11-2020-12/2020, दिनांक 03 सितम्बर, 2020 द्वारा श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई-1, बांदा को स्थानान्तरित करते हुये असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, कानपुर के पद/स्थान पर तैनात किया गया था। उक्त आदेश को संशोधित करते हुये श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-24, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-976-2/11-2020-12/2020—शासन की विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश संख्या राज्य कर-1-933-280/11-2020-12/2020, दिनांक 03 सितम्बर, 2020 द्वारा श्रीमती मीरा खण्डेलवाल, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (पूर्व पदनाम सहायक आयुक्त मनोरंजन कर) मुख्यालय को स्थानान्तरित करते हुये असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6, आगरा के पद/स्थान पर तैनात किया गया था। उक्त आदेश को संशोधित करते हुये श्रीमती मीरा रानी खण्डेलवाल, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि-1, आगरा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-976-1/11-2020-12/2020—शासन की विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश संख्या राज्य कर-1-933-279/11-2020-12/2020, दिनांक 03 सितम्बर, 2020 द्वारा श्रीमती शाइस्ता परवीन, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, खुर्जा को स्थानान्तरित करते हुये असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-19, गाजियाबाद के

पद/स्थान पर तैनात किया गया था। उक्त आदेश को संशोधित करते हुये श्रीमती शाइस्ता परवीन, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि-1, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

स्थानान्तरण/तैनाती

23 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1055/11-2020-12/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री देवेन्द्र पाल सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4, गाजीपुर को उनके निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुये असिस्टेन्ट कमिश्नर, राज्य प्रतिनिधि, अलीगढ़ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

प्रोन्नति

21 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1239/11-2020-24/2020—श्री आनन्द कुमार तिवारी (ज्येष्ठता क्रमांक-32), उप आयुक्त, पूर्व मनोरंजन कर विभाग (सम्प्रति वाणिज्य कर विभाग) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर [वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 7,600) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12] के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 राज्य कर-1-1240/11-2020-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्वाइन्ट कमिश्नर [वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 7,600) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12] के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :

| क्र0सं0 | ज्येष्ठता क्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1809 | श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव |
| 2 | 1810 | श्री विजय प्रताप यादव |
| 3 | 1812 | श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता-II |
| 4 | 1814 | श्री संजय मेहरोत्रा |
| 5 | 1815 | श्री प्रेम शंकर शर्मा |
| 6 | 1818 | श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता |
| 7 | 1819 | श्री सन्त कुमार जैन |
| 8 | 1820 | श्री परमानन्द |

स्थानान्तरण/तैनाती

02 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1281/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के श्री पंकज कुमार सिंह-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-11, आगरा को उनके निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुये डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0), सम्भाग-बी, अलीगढ़ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

प्रोन्नति

03 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-1289/11-2020-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मनोज कुमार सिंह-I (ज्येष्ठता क्रमांक-1821), डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्वाइन्ट कमिश्नर [वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 7,600) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12] के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

# आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति / तैनाती

07 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2006 / 96-आयुष-1-2018-198 / 2007—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 290 / 09 / डी0आर0 / एस-11 / 2014-18, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के 01 पद पर सीधी भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 पूनम अग्रवाल पत्नी डा0 राहुल जायसवाल, चन्द्रप्रकाश आयुर्वेद संस्थान बी-30 / 238डी, रविदास गेट चौराहा, नगवा लंका, वाराणसी को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक आयुर्वेद के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झांसी में प्रवक्ता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर नियुक्त / तैनात करने एवं चिकित्सा शिक्षक के रिक्त पदों के सापेक्ष वेतन आहरित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित अभ्यर्थी उपरोक्त प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी, महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 3006/96-आयुष-1-2018-337/2018—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 19(i)/12/डी0आर0/एस-11/2020-11, दिनांक 18 मई, 2018 एवं संख्या 283/12/ डी0आर0/एस-11/2020-11, दिनांक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के 06 पदों पर सीधी भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 आलोक यादव सुपुत्र श्री राम सुभाग यादव ग्राम साई, पोस्ट महरखां, जिला चन्दौली, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक आयुर्वेद के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में प्रवक्ता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर नियुक्त/तैनात करने एवं चिकित्सा शिक्षक के रिक्त पदो ंके सापेक्ष वेतन आहरित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी, महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

12 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (369)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-

11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-369 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000062561) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री मयंका पुत्री श्री कमलेश प्रसाद, निवासी-गौतमबुद्ध नगर, मोहदा दक्षिण, खोजनपुर, जिला अयोध्या (फैजाबाद), उ0प्र0-224001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मुजहना लाला, देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (3)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-3 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000126391) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री पशुपति नाथ तिवारी पुत्र श्री गिरिजा शंकर तिवारी,निवासी-C/o द्वारिका तिवारी, गोरखनाथ मन्दिर कैम्पस, गोरखपुर-273015 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, फरदहनी, गोरखपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (12)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-12 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000201197) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती चित्रा देवी शर्मा पत्नी श्री अनिरुद्ध सिंह यादव, निवासी-मोहल्ला-गुजराती कालोनी, पोस्ट-बिलग्राम, जिला-हरदोई, उ0प्र0-241301 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गदपुरतुर्रा, फर्रूखाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (14)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-14 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000350509) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री संदीप कुमार राजन पुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी-म0नं0-110/116, स्वराज नगर, पोस्ट-तेलियरगंज, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0-211004 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा

(आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डिघवट, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (16)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-16 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000344076) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अनुपम श्रीवास्तव पुत्र श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, निवासी-382/90ए/18डी, शिवाजी नगर, अल्लापुर, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर अमेठी, अमेठी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (29)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-29 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000179269) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री राखी पुत्री स्व0 शिवकरण सिंह, निवासी-एल0आई0जी0-122, गोविन्दपुर कालोनी, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0-211004 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गोरियाबाद, अमेठी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (45)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-45 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000171823) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री पारूल वर्मा पुत्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, निवासी-C/o श्री रामचन्द्र वर्मा (एडवोकेट), सी-186, हरिहर नगर विस्तार, निकट-एल0बी0एस0 इण्टर कालेज, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लक्ष्छीपुरवा, बाराबंकी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बाराबंकी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (81)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र

संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-81 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000300789) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मुजतबा वली खान पुत्र श्री सुजात अली खान, निवासी-मुहल्ला-किला, तहसील-आंवला, जिला-बरेली, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नौगवां, अलीगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (105)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-105 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000316869) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री हरीश कुमार सिंह पुत्र श्री प्रेमनाथ सिंह, निवासी-ई/51,रोहिनी कालोनी, साहबगंज, जिला-अयोध्या, उ0प्र0-224001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रजवापुर, बस्ती में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (130)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-130 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000045333) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री प्रिया शर्मा पुत्री श्री जय भगवान शर्मा, निवासी-K-4/4133, शास्त्री नगर, जिला-मेरठ, उ0प्र0-250004 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गुरूकुल घासीपुर, मुजफ्फरनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (145)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-145 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000111618) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अन्जू पुत्री श्री गजोधर सिंह, निवासी-ग्राम-धाराखेड़ा

मकूर, पोस्ट-अजमैन, जनपद-उन्नाव, उ0प्र0-209831 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बैदरापुर, अयोध्या में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अयोध्या के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या

11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (149)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-149 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000175698) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) कु0 मनोज दुबे पुत्री श्री बाल गोविन्द दुबे, निवासी-117/163ए, काकादेव, पुरानी बस्ती, जिला-कानपुर, उ0प्र0-208025 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बेनीपुर, अम्बेडकर नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अम्बेडकर नगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (163)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-163 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000211927) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती परिमल शुक्ला पत्नी डा0 अमित सिंह चौहान, निवासी-104, आनन्द नगर, जगई पुरवा, कानपुर, उ0प्र0-208007 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुरसठ, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (185)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-185 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000320696) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अनुपमा राय पुत्री श्री प्रद्युम्न नारायण राय, निवासी-43ए-12, लालबाग, पंतनगर, जिला-ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड-263145 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बड़इकगंज, गोरखपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (189)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-

11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-180 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000254029) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रोली सरजू प्रसाद मिश्रा पुत्री श्री सरजू प्रसाद मिश्रा, निवासी-बी/6, श्री सांईं सिद्धि निकेतन, नवधर रोड, भायंदर (पूर्व) थाने, महाराष्ट्र-401105 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पटखौली, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (195)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-195 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000356469) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मनीष पुत्र श्री माता प्रसाद राय, निवासी-बजरंग नगर, परानापुर, ए0आर0टी0ओ0, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कोहिना, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (205)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020, पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-205 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000183439) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सुनील दत्त द्विवेदी पुत्र श्री कामता प्रसाद द्विवेदी, निवासी-मेजर एस0डी0 सिंह, पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, डाक्टर रेसिडेंट, मकान नं0-29, बेवर रोड, जिला-फर्रूखाबाद, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गौरीकला, बांदा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बांदा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 1–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21, 1942 शक संवत्)**

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

NOTIFICATION

*September* 01, 2020

**No. 1754/Admin.(Services)-2020**–Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 444/II-4-2020, dated 20-07-2020, Sri Ajeet Kumar Mishra, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Jude (Junior Division), Sant Kabir Nagar.

*September* 04, 2020

**No. 1755/Admin.(Services)-2020**–Sri Santosh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Unnao *vice* Sri Bhupendra Rai.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Unnao against the special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1756/Admin.(Services)-2020**–Pursuant to Government O.M. No. 567/II-4-2020-15(14)/77, dated 01-09-2020, Sri Bhupendra Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Unnao is appointed/posted as Law Officer, Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow on deputation basis.

*September* 07, 2020

**No. 1757/Admin.(Services)-2020**–Sushri Vasundhara Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot *vice* Sri Prashant Maurya.

**No. 1758/Admin.(Services)-2020**–Sri Prashant Maurya, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be Civil Judge (Junior Division), Chitrakoot *vice* Sri Praveen Kumar.

**No. 1759/Admin.(Services)-2020**–Pursuant to Government Notification No. 23/2020/1294/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-TC-1, dated 03-09-2020, Sri Praveen Kumar, Civil Judge (Junior Division), Chitrakoot is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Manikpur District Chitrakoot in the newly created court created *vide* G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/ 2007, dated 24-11-2015.

*September* 08, 2020

**No. 1760/Admin.(Services)-2020**–Sri Mayank Jaiswal, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Raebareli to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Raebareli *vice* Smt. Durgesh Nandini.

**No. 1761/Admin.(Services)-2020**–Smt. Durgesh Nandini, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Raebareli to be Civil Judge, Senior Division, Amroha in the vacant court.

**No. 1762/Admin.(Services)-2020**–Sri Tarkeshwari Prasad Singh, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Allahabad to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Allahabad *vice* Smt. Saumya Giri.

**No. 1763/Admin.(Services)-2020**–Smt. Saumya Giri, Civil Juge, Senior Division (Fast Track Court), Allahabad to be Civil Judge, Senior Division, Auraiya in the vacant court.

**No. 1764/Admin.(Services)-2020**–Smt. Pradipti Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Jaunpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur *vice* Sri Jeevak Kumar Singh.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Jaunpur.

**No. 1765/Admin.(Services)-2020**–Sri Jeevak Kumar Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Chief Judicial Magistrate, Auraiya in the vacant court.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Auraiya.

**No. 1766/Admin.(Services)-2020**–Smt. Manju Kumari, Additional Civil Judge, Senior Division, Ghaziabad to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ghaziabad *vice* Sri Harikesh Kumar.

**No. 1767/Admin.(Services)-2020**–Sri Harikesh Kumar, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ghaziabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad *vice* Sri Mahendra Kumar Rawat.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ghaziabad.

**No. 1768/Admin.(Services)-2020**–Sri Mahendra Kumar Rawat, Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad to be Chief Judicial Magistrate, Jalaun at Orai *vice* Sri Vivek Kumar Singh-I.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Jalaun at Orai.

**No. 1769/Admin.(Services)-2020**–Sri Vivek Kumar Singh-I, Chief Judicial Magistrate, Jalaun at Orai to be Civil Judge, Senior Division, Jalaun at Orai in the vacant court.

**No. 1770/Admin.(Services)-2020**–Smt. Pratibha, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Civil Judge, Senior Division (Shamli at Kairana in the vacant court.

**No. 1771/Admin.(Services)-2020**–Sri Om Pal Singh, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Shahjahanpur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Shahjahanpur *vice* Sri Dinesh Kumar Gautam.

**No. 1772/Admin.(Services)-2020**–Sri Dinesh Kumar Gautam, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Shahjahanpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Shahjahanpur *vice* Sri Parvind Kumar.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Shahjahanpur.

**No. 1773/Admin.(Services)-2020**–Sri Parvind Kumar, Additional Chief Judicial Magistrate, Shahjahanpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Anoopshahar (Bulandshahar) in the vacant court.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Anoopshahar (Bulandshahar).

**No. 1774/Admin.(Services)-2020**–Sushri Ruchi Srivastava, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Civil Judge, Senior Division Chandauli in the vacant court.

**No. 1775/Admin.(Services)-2020**–Sri Ravi Shankar Gupta, Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Civil Judge, Senior Division, Gonda *vice* Sri Jaihind Kumar Singh.

**No. 1776/Admin.(Services)-2020**–Sri Jaihind Kumar Singh, Civil Judge, Senior Division, Gonda to be Civil Judge, Senior Division, Shrawasti at Bhinga in the vacant court.

**No. 1777/Admin.(Services)-2020**–Sri Hari Ram, Chief Judicial Magistrate, Gonda is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gonda.

**No. 1778/Admin.(Services)-2020**–Smt. Sonali Poonia, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat *vice* Smt. Sakshi Garg.

**No. 1779/Admin.(Services)-2020**–Smt. Sakshi Garg, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat, to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat *vice* Sri Kamalkant Gupta.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ramabai Nagar/Kanpur Dehat.

**No. 1780/Admin.(Services)-2020**–Sri Kamalkant Gupta, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Civil Judge, Senior Division, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat *vice* Sri Vijay Kumar-IV.

**No. 1781/Admin.(Services)-2020**–Sri Vijay Kumar-IV, Civil Judge, Senior Division, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mehrauni (Lalitpur) in the vacant court.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mehrauni (Lalitupur).

**No. 1782/Admin.(Services)-2020**–Sri Abhishek Kumar Vyas, Civil Judge, Senior Division, (Fast Track Court), Banda to be Civil Judge, Senior Division, Mahoba in the vacant court.

**No. 1783/Admin.(Services)-2020**–Sri Rajiv Mukul Pandey, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Pratapgarh, to Civil Judge, Senior Division, Kunda (Pratapgarh) in the vacant court.

**No. 1784/Admin.(Services)-2020**–Sri Vivek Kumar Dubey, District & Sessions Judge, Kaushambi to be Presiding Officer, Commercial Court, Agra.

**No. 1785/Admin.(Services)-2020**–Sri Ram Baran Saroj, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bhadohi at Gyanpur to be District & Sessions Judge, Kaushambi.

**No. 1786/Admin.(Services)-2020**–Sri Santosh Kumar Srivastava, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Agra to be District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

**No. 1787/Admin.(Services)-2020**–Sri Abdul Shahid, Officer-on-Special Duty, Amethi to be District & Sessions Judge, Raebareli.

*September* 16, 2020

**No. 1788/Admin.(Services)-2020**–Sri Sushil Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jhansi for trying cases of crime against women *vice* Sri Vimal Prakash Arya.

**No. 1789/Admin.(Services)-2020**–Sri Vimal Prakash Arya, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jhansi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jhansi against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Dr. Dinesh Chandra Shukla.

**No. 1790/Admin.(Services)-2020**–Dr. Dinesh Chandra Shukla, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jhansi to be Additional District & Sessions Judge Allahabad.

**No. 1791/Admin.(Services)-2020**–Sri Abhimanyou Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

**No. 1792/Admin.(Services)-2020**–Smt. Archana Rani, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

**No. 1793/Admin.(Services)-2020**–Sri Neeraj Kumar Bakshi, Additional District & Sessions Judge, Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj for trying cases of crime against women *vice* Sri Chhangur Ram.

**No. 1794/Admin.(Services)-2020**–Sri Chhangur Ram, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj to be Special Judge, Maharajganj for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ram Kishor-III.

**No. 1795/Admin.(Services)-2020**–Sri Ram Kishor-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

**No. 1796/Admin.(Services)-2020**–Sri Tripurari Mishra, Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge, Raebareli.

**No. 1797/Admin.(Services)-2020**–Smt. Shweta Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli for trying cases of crime against women *vice* Sri Siddharth Singh.

**No. 1798/Admin.(Services)-2020**–Sri Siddharth Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli to be Additional District & Sessions Judge, Raebareli.

**No. 1799/Admin.(Services)-2020**–Sri Sunil Singh, Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

**No. 1800/Admin.(Services)-2020**–Sri Paritosh Shreshta, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Saharanpur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Kalpana Pandey.

**No. 1801/Admin.(Services)-2020**–Smt. Kalpana Pandey, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

**No. 1802/Admin.(Services)-2020**–Sri Jagannath Mishra, Additional Principal Judge, Family Court, Mahrajganj to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

**No. 1803/Admin.(Services)-2020**–Smt. Meena Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow *vice* Sri Vijay Chand Yadav.

She is also appointed under secation 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lucknow against the

special court created for trying cases under the said Act.

**No. 1804/Admin.(Services)-2020**–Sri Vijay Chand Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

**No. 1805/Admin.(Services)-2020**–Sri Mohd. Ghazali, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-Corruption (UPSEB), Lucknow *vice* Sri Aditya Chaturvedi.

**No. 1806/Admin.(Services)-2020**–Sri Aditya Chaturvedi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-Corruption (UPSEB), Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

**No. 1807/Admin.(Services)-2020**–Sri Pradip Kumar Ram, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Basti *vice* Smt. Parul Panwar.

**No. 1808/Admin.(Services)-2020**–Smt. Parul Panwar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Basti to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

**No. 1809/Admin.(Services)-2020**–Sri Adarsh Srivastava, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Varanasi to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bara Banki *vice* Sushri Sweta Chandra.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bara Banki.

**No. 1810/Admin.(Services)-2020**–Sushri Sweta Chandra, Additional Chief Judicial Magistrate, Bara Banki to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Bara Banki *vice* Smt. Arti Dwivedi.

**No. 1811/Admin.(Services)-2020**–Smt. Arti Dwivedi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Bara Banki to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Bara Banki.

**No. 1812/Admin.(Services)-2020**–Smt. Sudha, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar *vice* Sri Ashok Kumar Singh-IX.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bulandshahar.

**No. 1813/Admin.(Services)-2020**–Sri Ashok Kumar Singh-IX, Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar to be Secreatry (Full Time), District Legal Services Authority, Bulandshahar.

**No. 1814/Admin.(Services)-2020**–Smt. Chetna Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Kasganj to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras in the vacant court.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hathras.

**No. 1815/Admin.(Services)-2020**–Sri Naresh Kumar Diwakar, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh.

**No. 1816/Admin.(Services)-2020**–Sri Kuldeep Singh-I, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Meerut *vice* Sri Shyam Babu.

**No. 1817/Admin.(Services)-2020**–Sri Shyam Babu, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Meerut to be Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sri Satyendra Singh.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Meerut.

**No. 1818/Admin.(Services)-2020**–Sri Satyendra Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut

to be Chief Judicial Magistrate, Rampur *vice* Sri Prabodh Kumar Verma.

**No. 1819/Admin.(Services)-2020**–Sri Prabodh Kumar Verma, Chief Judicial Magistrate, Rampur to be Civil Judge, Senior Division, Rampur *vice* Smt. Sweta Choudhary.

**No. 1820/Admin.(Services)-2020**–Smt. Sweta Choudhary, Civil Judge, Senior Division, Rampur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur *vice* Smt. Shilpe Rani.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Rampur.

**No. 1821/Admin.(Services)-2020**–Smt. Shilpe Rani, Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Rampur.

**No. 1822/Admin.(Services)-2020**–Sushri, Sonam Gupta, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur to be Civil Judge (Junior Division), Shahganj sitting at Jaunpur *vice* Sri Neeraj Singh.

**No. 1823/Admin.(Services)-2020**–Sri Neeraj Singh, Civil Judge (Junior Division), Shahganj sitting at Jaunpur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur *vice* Sri Anurag Yadav.

**No. 1824/Admin.(Services)-2020**–Sri Anurag Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur to be Civil Judge (Junior Division), Jaunpur *vice* Sri Alok Verma.

**No. 1825/Admin.(Services)-2020**–Sri Alok Verma, Civil Judge (Junior Division), Jaunpur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur *vice* Smt. Sneha.

**No. 1826/Admin.(Services)-2020**–Smt. Sneha, Judicial Magistrate, First Class, Jaunpur to be Civil Judge (Junior Division) (City), Kanpur Nagar *vice* Sri Gyanendra Kumar.

**No. 1827/Admin.(Services)-2020**–Sri Gyanendra Kumar, Civil Judge (Junior Division) (City), Kanpur Nagar is appointed under section 16 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Sri Ashish Kamboj.

**No. 1828/Admin.(Services)-2020**–Sri Ashish Kamboj, Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

**No. 1829/Admin.(Services)-2020**–Sri Abhinav Srivastava, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar is appointed under section 16 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Smt. Anamika Singh.

**No. 1830/Admin.(Services)-2020**–Smt. Anamika Singh, Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

**No. 1831/Admin.(Services)-2020**–Smt. Jyotsna Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar is appointed under section 16 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Sushri Yogita Kumar.

**No. 1832/Admin.(Services)-2020**–Sushri Yogita Kumar, Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

**No. 1833/Admin.(Services)-2020**–Sri Shrayansh Niranjan, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar is appointed under section 16 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
*Registrar General.*

## जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

09 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 1687/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | कोंच | कोंच | ऊंचागांव | 206-ग | हेक्टेयर 0.160 | 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद) नवीन परती | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना अटा। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,45,800.00 (मु0 एक लाख पैतालीस हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1688/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | कोंच | कोंच | हरदुवा | 153 | हेक्टेयर 0.160 | 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद) नवीन परती | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना हरदुवा। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,64,000.00 (मु0 दो लाख चौसठ हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1689/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | जालौन | रन्धीरपुर | 99 | 0.672 में से 0.161 | 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो (बेहड़) | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत रायपुर ग्राम समूह पेयजल योजना रंधीरपुर। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,85,955.00 (मु0 एक लाख पिच्चासी हजार नौ सौ पचपन रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1690/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | जालौन | हरसिंगपुर | 172 | 0.206 में से 0.090 | 5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत कोटा मु0 ग्राम समूह पेयजल योजना हरसिंगपुर। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,14,300.00 (मु0 एक लाख चौदह हजार तीन सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1691/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | जालौन | रोमई मु0 | 914 | 0.163 | 5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत कोटा मु0 ग्राम समूह पेयजल योजना रोमई मु0। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,88,265.00 (मु0 एक लाख अट्ठासी हजार दो सौ पैसठ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1692/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | जालौन | ऐको | 636 सा0आ0 | 0.494 में से 0.162 | 5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत कोटा मु0 ग्राम समूह पेयजल योजना एको। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,87,110.00 (मु0 एक लाख सतासी हजार एक सौ दस रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1693/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | जालौन | निजामपुर | 323 | 0.093 | 5-3-ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत कोटा मु0 ग्राम समूह पेयजल योजना निजामपुर। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,07,415.00 (मु0 एक लाख सात हजार चार सौ पन्द्रह रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

09 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 1696/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | माधौगढ़ | माधौगढ़ | रिठौरा | 130/1 मि0 | हेक्टेयर 0.821 में से 0.160 | 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो (बेहड़) | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना रिठौरा। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1697/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | माधौगढ़ | माधौगढ़ | जायघा | 1407 मि0 | हेक्टेयर 1.773 में से 0.160 | 5-3-ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर) | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना जायघा। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1698/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | माधौगढ़ | माधौगढ़ | किरवाहा | 219 | हेक्टेयर 0.190 में से 0.160 | 5-3-ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर) | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत कोटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना किरवाहा। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,000.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1699/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | उरई | उरई | अजनारी | 251/1 | हेक्टेयर 0.344 में से 0.160 | 5-3-ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर) | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना अजनारी। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 10,20,800.00 (मु0 दस लाख बीस हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1700/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | उरई | उरई | कपासी | 328 | हेक्टेयर 0.235 में से 0.160 | 5-1/कृषि योग्य भूमि-नवीन परती (परती जदीद) | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना कपासी। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,84,800.00 (मु0 एक लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1701/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | उरई | उरई | बरसार | 856 सा0 आ0 | हेक्टेयर 0.243 में से 0.160 | 5-1/अकृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद) नवीन परती | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना बरसार। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,56,000.00 (मु0 दो लाख छप्पन हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1702/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जालौन | कोंच | कोंच | मवई एट | 335 | हेक्टेयर 0.160 | 5-3-ड/ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना मवई एट। |

उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,48,000.00 (मु0 दो लाख अड़तालीस हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबंधित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

डा0 मन्नान अख्तर,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21, 1942 शक संवत्)**

### भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

### भारत निर्वाचन आयोग

18 अगस्त, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख ——————————
27 श्रावण, 1942 (शक)

### आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/79/2017—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

**यतः**, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुभाष चन्द्र अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/79/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था :

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

**यतः**, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुभाष चन्द्र के पिता श्री बच्चू सिंह को दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुभाष चन्द्र द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

**यतः**, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुभाष चन्द्र को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/79/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 18 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

**यतः**, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुभाष चन्द्र द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

**यतः**, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुभाष चन्द्र विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री सुभाष चन्द्र, निवासी पटाखास, पोस्ट पटाखास, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

---

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

*New Delhi*, *dated the* *18th August*, 2020 / *Shravana* 27,th 1942 (*Saka*).

**ORDER**

**No. 76/UP-LA/79/2017–**WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04 th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Subhash Chandra, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Subhash Chandra, for the following defects in accounts of his election expenses :–

*(i)* Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure.

*(ii)* Bank statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Subhash Chandra was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Bachchu Singh F/o Shri Subhash Chandra, on 27th November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2019 that Shri Subhash Chandra, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 01st October, 2019, which was served to him on 18th March, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 07th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Subhash Chandra has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received

in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Subhash Chandra has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

*(a)* Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

*(b)* Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Subhash Chandra, Resident of Patakhas, Post-Patakhas, District-Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
*Senior Principal Secretary,*
*Election Commission of India.*

---

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
*Secretary.*

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–52 निर्वाचन–11-12-2020–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020 ई० (अग्रहायण 21, 1942 शक संवत्)**

**भाग 8**

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

## कार्यालय, नगर पंचायत, सफीपुर (उन्नाव)

11 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 11-1441/उप0 प्रका0/न0पं0स0/2020-21–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) व 126(10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव ने अपनी बोर्ड बैठक 20 जुलाई, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 408/नौ-10-63ज/95 टी0सी0, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश संख्या 135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत गृहकर निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा संपत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2020 बनायी गयी है। जिसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक ''पायनियर'' समाचार-पत्र में दिनांक 11 जून, 2020 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

### सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2020

1–यह नियमावली नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2020 कही जायेगी।

2–यह नियमावली नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा में लागू होगी।

3–यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

4–''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव से है।

5–''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव अधिशासी अधिकारी से है।

6–''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7–''प्रशासक/बोर्ड'' से तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव के प्रशासक बोर्ड से है।

8–''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

9–''शासनादेश'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10–कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिये नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11–आवेदन-पत्र नगर पंचायत, सफीपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12–जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव द्वारा की जायेगी।

13–भवन–इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14–''सम्पत्ति'' का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15–''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य, कुर्सी के उपर जिसपर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16–कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | कमरें | – | आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप। |
| (ख) | आच्छादित बरामदा | – | आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप। |
| (ग) | बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह | – | आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप। |
| (घ) | गैराज | – | आन्तरिक आयाम की 1/4 माप। |
| (ङ) | स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिकों और जीने से आच्छादित क्षेत्र | – | कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा। |

17–कर का निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा।

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

18 (क) करों का भुगतान–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत, सफीपुर कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173(क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो के नगरपालिका अधिनियम की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरूपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नहीं है तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19–किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिका होगा 25 (+) प्रतिशत

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत समझा जायेगा।

**नोट**–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (2) में यह प्रावधान है कि जहां नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहां नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

20–व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य-सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटाचक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व वेबसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21–औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य–सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखाने, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी/एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लान्ट/संयंत्र/केन्द्र आदि से है।

22–इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य–राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0, पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागर, हैण्डीकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह एवं देखभाल केन्द्र, वृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, पोलीटेक्निक, इन्जीनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कलाकेन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई -कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, धार्मिक केन्द्र, बारात घर, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियों व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

**नोट**–जो भी सामाजिक, धार्मिक राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क जनहित में कार्य कर रही है वे कर से मुक्त रहेगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23–रेन्ट कन्ट्रोल के मकान–रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग–9, लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24–जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को गृहकर का भुगतान करना होगा।

25–करों में छूट–

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य संबंधित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नहीं करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 12 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26–संबंधित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भूखण्ड पर क्रमशः रु0 100/500/1,000/2,000 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27–भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में वृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28–जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र 'क' और 'ख' पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र 'क' के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगे।

29–(क) मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करते हुये विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम, कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30–मकानों का हस्तांतरण/नामान्तरण सम्बन्धी नियम–

(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तांतरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रत्येक वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना पर रु0 500.00 शुल्क जमा करके अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 100.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण को कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय-पत्र/बैनामा/वसीयतनामा/हिबानामा/करारनामा/दान आदि के आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है तो उसका निम्नलिखित जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी :

| | |
|---|---|
| रु0 10 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क | – रु0 1,000.00 |
| रु0 25 लाख से अधिक रु0 50 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क | – रु0 2,000.00 |
| रु0 50 लाख से अधिक रु0 1 करोड़ तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क | – रु0 5,000.00 |
| रु0 1 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क | – रु0 10,000.00 |
| | प्रति पीढ़ी देय होगा |

31–कर निर्धारण दर–गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32–मुख्य मार्ग का तात्पर्य–मुख्य मार्ग में सभी सड़कें आयेंगी जिसकी चौड़ाई 24 फुट से अधिक होगी।

33–अन्य मार्ग का तात्पर्य– मुख्य मार्ग के अन्दर के मार्ग व मोहल्ल/कालोनी में जाने वाली सड़क एवं समस्त गलियां अपने भागों में आयेंगी।

34–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट :

| भवन की प्रकृति | पक्का भवन (RCC/RB छत) | | | अन्य पक्का भवन | | | कच्चा भवन | भूमि के सम्बन्ध में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| फर्श की प्रकृति<br>सड़क की लम्बाई | पत्थर/टायल्स/मुजाइक | पक्का फर्श | कच्चा | पत्थर/टायल्स/मुजाइक | पक्का फर्श | कच्चा | कच्चा | खाली प्लाट |
| क–(24 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन) | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| ख–(12 फुट से 24 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित भवन) | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| ग–(12 फुट तक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन) | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |

35–अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव में निहित होगा।

36–अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो का कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37–(क) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भूखण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन/भूखण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशों पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

| श्रेणी | सम्पत्ति का विवरण | अनावासीय भवन की मासिक किरायें की दर |
|---|---|---|
| 1 | प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में। | आवासीय दर का पांच गुना |
| 2 | टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं | आवासीय दर का चार गुना |
| 3 | प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायों, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र। | आवासीय दर का तीन गुना |
| 4 | पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम | आवासीय दर का तीन गुना |
| 5 | सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन | आवासीय दर का तीन गुना |
| 6 | औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय | आवासीय दर का तीन गुना |
| 7 | क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर | आवासीय दर का तीन गुना |
| 8 | अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है। | आवासीय दर का तीन गुना |
| 9 | छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129 क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है। | आवासीय दर के समान |

38–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

39–सम्बन्धित बुकलेट 50 रु0 शुल्क जमा कर नगर पंचायत, सफीपुर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

**अर्थदण्ड**

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1,000.00 एक हजार जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता है, रु0 25.00 पच्चीस रुपये मात्र प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

(ह0) अस्पष्ट
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सफीपुर,
उन्नाव।

# कार्यालय, नगर पंचायत, सफीपुर जनपद (उन्नाव)

19 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 12-1088/उपविधि/न0पं0स0/2019-20—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 6433/नौ-1-96, दिनांक 07 नवम्बर, 1996 के क्रम में नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव अपनी सीमान्तर्गत मच्छरजनित एवं संक्रामक रोगों की रोक थाम एवं प्रबन्धन निमित्त विनियम उपविधि, 2019 बनायी गयी है। जिसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक ''पायनियर'' समाचार-पत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 एवं दैनिक विचार सूचक समाचार-पत्र में दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

**1**—(1) यह उपविधि नगर पंचायत (मच्छरजनक) स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2019 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2—परिभाषाएं—(1) जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में,

(क) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

3—कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में—

प्रतिषेध—(1) पानी को ऐसे जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा कि जिससे मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो।

(2) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और न किसी भी प्रकार से पानी को वहां जमा या संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हो या उनके पैदा होने की सम्भावना हो। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेंन्ट) हो गया हो कि उससे मच्छर पैदा ही न हो पाये।

4—जन विज्ञापन—किसी भी स्थित पानी बहते पानी के जल-निकाय (वाटर वाडी) में यदि लावे पाये तो वह इस बात के प्रमाण होंगे कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5—(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रूके हुये या बहतें हुये पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहे हों, या उनके पनपने की सम्भावना हो, उस सभी के स्वामियों (ओनरो) अभिग्राहियों (आक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो (चौबीस घण्टों से कम नहीं) भौतिक रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समक्षता हो, उन प्रजनन स्थलों को उपचारित (ट्रीट) करवायेगा।

(2) मच्छरों के प्रजनन स्थलों (ब्रीडिंग प्लेसेज) की कीटनाशक उपचार—यदि उपविधि (क) के अन्तर्गत अभिग्राही आक्यूपायर किरायेदार लीज आदि पर आवास लेने वाले को नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या व्यजित (इम्प्लाइड) नहीं हुआ है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गई उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उसे किराये में काट सकता है जो उसके मकान मालिक को देना है।

6—व्यक्तिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही—यदि उपविधि 5(1) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किये गये है बताये गये उपायें करने से इन्कार देता है या नोटिस में निहित उपचार निर्दिष्ट समय में करवा सकता है और इसका खर्चा जैसी भी स्थिति मालिक या किरायेदार से वसूल कर सकता है मानों सम्पत्ति कर का बकाया हों।

7—मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा—किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिये सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सर्व निर्देश से अभिग्राही (आक्यूपायर) ने यदि कोई नियम करवाया है तो अधिशासी अधिकारी उस जमीन या भवन उपयोग किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है जो मच्छर-रोधी इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावट लाये।

8—मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखल अन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक—अधिशासी अधिकारी की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उन स्थल पर या उन भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाड़ेगा, नष्ट करेगा और बेकार करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उन सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9–प्रत्येक पात्र–घर, भवन रेड (सायबान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन बाल्टी डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हो।

10–निर्माण कार्य जेसे सड़क निर्माण करने, रेलवे लाइन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढ़े (बोर पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहें। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो, इन बोर पिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिये किया जाये। बोर पिट के तले में इस प्रकार का ढाल और रूप दिया जाये कि नालियों से पानी एक बोर पिट से निकल कर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से काई बोर पिट नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।

11–यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद हो, या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

12–स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकारी–अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर घरों प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश और इस या भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, इस प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मच्छर जनित रोगों/मलेरिया नियन्त्रण कार्य में जरूरत है।

**दण्ड**

नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव अपनी सीमान्तर्गत लागू उपविधि के किसी भी पैरा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड निर्धारित करते हुये प्रति प्रकरण रु0 200.00 प्रतिदिन दण्ड के रूप में वसूल करेगी। यदि कोई व्यक्ति दण्ड देने में असमर्थ रहता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार नगर पंचायत में निहित है।

(ह0) अस्पष्ट
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सफीपुर,
उन्नाव।

## कार्यालय, नगर पंचायत, सफीपुर, जनपद (उन्नाव)

11 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 11-1443 उप प्रका0/न0पं0स0/2020-21–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव ने अपनी बोर्ड बैठक 20 जुलाई, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, पुनः निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि, 2019 बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक आज एवं दैनिक विचार सूचक समाचार-पत्रों में दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

### भवन निर्माण, पुनः निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि, 2019

1–''उपविधियों'' का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/भू-खण्डों के निम्रण को नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2019 से है।

2–''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर से है।

3–''अध्यक्ष'' का तात्पर्य निर्वाचित अध्यक्ष नगर पंचायत/जिलाधिकारी अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, प्रभारी अधिकारी जैसी स्थिति हो, से है।

4–''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सफीपुर से है।

5–''बोर्ड'' से तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर के बोर्ड से है।

6–''नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में होने वाली सीमा विस्तार में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

7–''कर'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (1) द्वारा परिभाषित भवन अथवा भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर आरोपित कर से है।

8–''स्वामी'' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी भवन अथवा भूमि का वैधानिक रूप से मान्य स्वामित्व निहित हो।

9–''भवनों'' का तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा में स्थित भवनों, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय में वर्णित परिभाषा धारा 7 में उल्लिखित यथासंशोधित से है।

10–कोई भी भवन/भूस्वामी कम्पनी पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, ठेकेदार नगर पंचायत के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण एरिया को छोड़कर आवासीय भवन व्यापार हेतु जनहितार्थ अपनी निजी अथवा किराये पर ली गई अथवा किसी क्षेत्रीय संस्था की भूमि पर नगर पंचायत, सफीपुर से पूर्व आज्ञा (अनुमति) प्राप्त किये बिना न तो नया निर्माण कर सकता है और न ही पुराने निर्माण में फेरबदल कर सकता है। नगर पंचायत, सफीपुर की सीमान्तर्गत आने वाला समस्त भू-भाग नियंत्रित क्षेत्र कहलायेगा।

परिवर्तन या परिवर्धन–

11–नगरीय क्षेत्रों में नये निर्माण और पुराने भवनों में परिवर्तन या परिवर्धन कम से कम 03 मास पूर्व भूमि का मालिक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सफीपुर को उक्त निर्माण के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा।

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित पत्रादि और सूचनायें भी भेजेगा–

(क) स्थल का नक्शा व नक्शे का पैमाना 1 मीटर बराबर 1 से0मी0 (एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर) होगा।

(ख) स्थल की सीमायें चारों ओर की और उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण और भूमि के मालिकों के नाम (चौहद्दी) का उल्लेख।

(ग) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन की दूरी।

(घ) सम्पर्क मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग से निर्माणाधीन स्थल की दूरी की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त कराना होगा।

(ङ) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र सेलडीड (बिक्री विलेख) ट्रांसफर (स्थानान्तरण विलेख) तथा लैंड डाक्यूमेंट अथवा रजिस्टर (मान्य दस्तावेज अथवा रजिस्टर पत्रादि) अथवा लेखपाल के द्वारा प्रदत्त स्थल का इंतखाब जैसी भी स्थिति को संलग्न किया जायेगा।

12–प्रस्तावित भवन का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार–

(क) प्रत्येक मंजिल के ढ़के हुये भाग का नक्शा विवरण सहित जैसे दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, जीना आदि की ठीक-ठाक स्थिति।

(ख) नक्शा नवीस/आर्किटेक्ट का नाम व पता (राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)।

(ग) भवन का उद्देश्य–

(1) निजी आवास के लिये।

(2) व्यवसाय/व्यापार के लिये।

(3) रहने व दुकान के लिये, दुकान किराये पर देने के लिये।

(4) जनहितार्थ है तो विवरण।

(5) अन्य कार्य हेतु विवरण प्रस्तुत करें।

13–निर्माण की स्वीकृति पूर्व प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के 03 मास के अंदर दिये जाने के 06 मास के अन्दर निर्माणकार्य प्रारम्भ कराना होगा, यदि किसी कारण निर्माण कार्य उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर प्रारम्भ नहीं हुआ है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः विचार कर कार्य प्रारम्भ करने की अवधि का बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में स्वीकृति से 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 181(1), (2) ।

14–निर्माण स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि प्रार्थी द्वारा इस उपनियम के खण्ड 2.3 में दी गई सूचना अथवा नक्शे में गलत विवरण दिया गया था। तो अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति को प्राप्त कर सकता है और किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा और ध्वस्त करा दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 185 ।

15–यदि किसी भवन की चौड़ाई रास्ते या सड़क की ओर स्थित है तो भवन सम्पूर्ण के अगले भाग में कम से कम 1.21 मीटर की जगह छोड़नी पड़ेगी यदि भवन का प्रवेश द्वारा सड़क या आवासीय क्षेत्र में दिये गये पार्क आदि के लिये खाली जगह हो जाने वाली सड़क या गली या रास्ते पर तो 1.50 मीटर छोड़नी होगी।

16–कोई भवन या आवास जनहितार्थ बनाया जायेगा, निर्माणकर्ता को आवश्यक होगा कि वह आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक शौचगृह तथा स्वास्थ्य सुविधायें, जनस्वास्थ्य नियमावली के आधार पर बनायेगा।

(क) किसी शौचगृह की सड़क अथवा गली की ओर खुला रहने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) शौचालय इस प्रकार का होना चाहिये, जिसमें मलकूप/मल निस्तारण आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।

17–किसी भी भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि खुले स्थान की सतह से कम से कम 50 से0मी0 ऊंची होगी।

18–किसी भवन में मंजिल का तात्पर्य उन एक या एक से अधिक कमरों से है जिनके फर्श लगभग समान ऊंचाई के हों।

19–एक से अधिक मंजिल के लिये जीने की चौड़ाई 90 से0मी0 से कम न होनी चाहिये, जिसमें रोशनी आदि की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है।

20–अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह नक्शे को उसी प्रकार स्वीकार कर दें अथवा उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन कर स्वीकार करें। नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 186 (1), (2), (3) ।

21–उन उपविधियों के अधीन भवन इत्यादि निर्माण कार्य के लिये प्रदान की गई आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22–इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्माण पुनः निर्माण व परिवर्धन के प्रार्थना-पत्र के साथ इस उपविधियों में दी गई दर से शुल्क जमा करना होगा और इस जमा की रसीद प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23–नक्शा स्वीकृत करने हेतु निम्न औपचारिकताओं की भी पूर्ति अपेक्षित होगी–

(क) भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।

(ख) लोक निर्माण विभाग।

24–लाइसेन्स धारी ड्राफ्टमैन अथवा आर्किटेक्ट द्वारा बनाये गये नक्शे की मान्य होंगे।

25–किसी भी व्यक्ति द्वारा इन उपनियमों की किसी भी धारा के उल्लंघन किये जाने पर वह नगर पंचायत, सफीपुर के अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियोग-पत्र जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख उस व्यक्ति के विरुद्ध दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत करें, अधिशासी अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि जिला मजिस्ट्रेट को अभियोग-पत्र प्रस्तुत करने के अलावा उपविधि में किसी धारा के उल्लंघन किये जाने पर उस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर अपराध का प्रशमन किसी भी समय पर लेने और इसी दशा में समझौता निम्न शुल्क पर देय होगा–

| | |
|---|---|
| (क) आवासीय हेतु प्रति आवास | रु0 2,000.00 |
| (ख) व्यापारिक संस्था प्रति संस्था | रु0 8,000.00 |

फीस की दरें–

आवासीय भवन हेतु एवं कालोनी हेतु दरें–

(क) प्रथम सौ वर्ग मीटर तक फर्श के कुल ढके भाग पर रु0 500.00 तथा अतिरिक्त प्रतिवर्ग दस मीटर या उसके भाग के लिये रु0 100.00 देय होगा।

व्यापारिक संस्था हेतु दरें–

(ख) प्रथम 50 मीटर तक फर्श के कुल ढके भाग पर रु0 1,000.00 तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग 10 मीटर या उसके भाग के लिये रु0 200.00 होगा।

(ग) पुनर्निमाण, परिवर्तन या परिवर्धन के लिये शुल्क नव निर्माण के बराबर होगा।

(घ) अवधि बढ़ाये जाने के प्रार्थना-पत्र का शुल्क रु0 300.00 देय होगा।

(ङ) हर प्रकार की चहारदीवारी निर्माण का शुल्क रु0 500.00 प्रति 100 मीटर या उसके भाग पर होगा।

**दण्ड**

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके नगर पंचायत, सफीपुर एवं एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपर्युक्त नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिये जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 तक हो सकता है।

(ह0) अस्पष्ट
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सफीपुर,
उन्नाव।

# कार्यालय, नगर पंचायत, सफीपुर, जनपद (उन्नाव)

18 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 11-1445 उप प्रका0/न0पं0स0/2020-21—नगर पंचायत, सफीपुर की आय बढ़ोत्तरी हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा (11) की सूची ''स'' के खण्ड ''घ'' द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव ने अपनी बोर्ड बैठक 20 जुलाई, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले भवनों पर जलकर निर्धारण हेतु जलकर उपनियमावली, 2019 बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक ''राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक विचार सूचक समाचार-पत्रों में दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

## जलकर उपनियमावली, 2019

1—यह नियमावली नगर पंचायत सीमा में आने वाले भवनों पर लागू होगी तथा जलकर उपनियमावली, 2019 कहलायेंगी।

(क) क्षेत्र (सीमा) का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा से है।

(ख) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष नगर पंचायत, सफीपुर व अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सफीपुर से है।

(ग) अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निजी भूमि भवन या उसके किसी भाग का स्वामी हो तथा उपयोग में लाता हो स्वामी/किरायेदार के नाम से जल-कर लागू किया जायेगा।

2—गृहकर वार्षिक मूल्य के आधार पर जल-कर निर्धारण किया जायेगा।

3—भवन का तात्पर्य भवन, दुकान, दालान, बरामदा, सहन, जो किसी सामग्री से बना हो एवं अनुबन्ध भूमि भी सम्मिलित होगी परन्तु तम्बू, झोपड़ी आदि सम्मलित नहीं होगी।

4—(क) जलकर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा वसूल किया जायेगा जिसकी अदायगी का समय 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर होगा किन्तु कोई व्यक्ति यदि अग्रिम किस्त जमा करना चाहे तो वह जमा कर सकता है।

(ख) जल कर 31 दिसम्बर तक अदा न करने पर लगे जलकर पर 10% अधिभार लगाकर वसूल किया जायेगा।

5—जल-कर वसूली संक्रमण के कारण स्थगित की जायेगी तथा वर्तमान किरायेदार, कब्जेदार, अध्यासी से वसूल की जायेगी।

6—यदि कोई व्यक्ति भवन या भूमि पर जलकर लगा हो तथा उसका स्वामित्व परिवर्तन करता है, तो तीस दिन के अन्दर नया अधिकार परिवर्तन की लिखित सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को देगा तथा रजिस्टर्ड बैनामा व अचल सम्पत्ति हस्तानान्तरण शुल्क जमा करेगा तब नियमानुसार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित भवन से अधिकार परिवर्तन के साथ जलकर परिवर्तित करने का आदेश पारित करेगा।

7—यदि पूर्व की कोई धनराशि बकाया है तो उसे नाम परिवर्तन से पूर्व बकाया जलकर जमा करना अनिवार्य होगा।

8—वाटर कनेक्शन में नाम बदलने आदि के दाखिल खारिज प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा किसी विशेष मामले का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

9—पालिका अधिनियम की धारा 287 को दृष्टिगत रखते हुये जिस भवन पर जलकर लागू होगा, अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी उस भवन में प्रवेश कर पैमाइश करा सकता है।

10—नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत पड़ी पाइप लाइन से 300 मी0 की दूरी तक स्थित भवनों पर जलकर आरोपित किया जायेगा।

**टिप्पणी**—अर्धव्यास निर्धारित करने के लिये एक सीधी रेखा होगी जहां से निकट जल स्तम्भ हो वहां से जल देने का प्रबन्ध हो।

11—बाकीदार व्यक्तियों पर उपबन्धों के अधीन धारा 173 (क) के अन्तर्गत वसूली की जायेगी तथा वारण्ट कुर्की भेजे जायेंगे।

12—शुल्क मुक्त करने के लिये कोई स्वामी जिसके अलग अलग हिस्से में भवन हो तथा 90 दिन खाली होने पर भी जलकर आरोपित कर दिया गया हो या भवन गिर जाने पर गृह स्वामी मुक्त हेतु अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा एवं अधिशासी अधिकारी उसे मुक्त करने पर विचार बोर्ड में रखेगा।

13—(क) रु0 300.00 वार्षिक मूल्य तक के भवनों पर जलकर आरोपित नहीं किया जायेगा।

(ख) रु0 300.00 वार्षिक मूल्य के उपर के भवनों पर 10% की दर से जलकर लगेगा जो भवन स्वामी देगा। जलकर की वसूली किरायेदार/कब्जेदार से भी की जायेगी।

14—जलकर का निर्धारण गृहकर के अनुसार ही किया जायेगा। निर्धारण के बाद आपत्ति/सुझाव मांगे जायेंगे, जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर प्राप्त किये जायेंगे। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। आपत्तिकर्ता यदि सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है तो आपत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

15—जलकर निर्धारण सूची को अन्तिम रूप देने हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

16—नगर पंचायत बोर्ड द्वारा सूची को अन्तिम रूप में स्वीकार किया जायेगा तत्पश्चात जलकर लागू होगा।

17—यह सूची नगर पंचायत कार्यालय सफीपुर में निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी जिसे कोई भी व्यक्ति जिस पर जलकर लगा है, देख सकता है।

18—सूची प्रकाशन के बाद यदि किसी को आपत्ति हो तो वह 30 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकता है, किन्तु करदाता को अपील से पूर्व लगा कर अदा करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से करदाता या नगर पंचायत संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील कर सकता है।

19—निम्नलिखित जलकर से मुक्त रहेंगे—

(क) मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, इमामवाड़ा, दरगाह, गिरिजाघर, खैराती संस्थाओं को वह भाग जो किराये पर न उठा हो वह कर से मुक्त रहेंगे।

(ख) सरकारी/गैर सरकारी भवनों पर कर लिया जायेगा।

(ग) नगर पंचायत कर्मचारियों से जिसमें वह स्वयं रहते है कर से मुक्त रहेंगे।

20—जलकर दाता निर्धारित तिथि पर कर भुगतान करके एम0एस0सी0—5 (फार्म—5) पर रसीद प्राप्त करने को बाध्य होगा।

**दण्ड**

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 191 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके बोर्ड निर्देश देता है कि इस नियमावली में वर्णित किसी धारा का उल्लंघन करने पर 1,000 (एक हजार रुपया) मात्र लिया जायेगा तथा निरन्तर उल्लंघन करते पाये जाये तो रु0 25.00 (रुपया पच्चीस मात्र) प्रतिदिन देना होगा।

(ह0) अस्पष्ट
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सफीपुर,
उन्नाव।

## कार्यालय, नगर पंचायत सफीपुर (उन्नाव)

19 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 11-1446/उप0 प्रका0/न0पं0स0/2020-21—नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2221/नौ-5-18-352 सा/2016 नगर विकास अनुभाग-5, दिनांक 29 जून, 2018 में निहित ''उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति'' में जारी मार्गदर्शी निर्देशों को समाहित करते हुये तथा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायीधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में नगर पंचायत, सफीपुर (उन्नाव) अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं विनियमन उपविधि 2019" बनायी गयी है। जिसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक "अमर उजाला"

समाचार-पत्र में 22 दिसम्बर, 2019 एवं दैनिक "विचार सूचक" समाचार-पत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

## नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा विनियम उपविधि, 2019

**1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–**

(1) यह उपविधि "न0पं0 सफीपुर (उन्नाव) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियम उपविधि, 2019'' के नाम से प्रभावी होगी।

(2) यह नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

**2–परिभाषायें–**

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में–

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, जनपद उन्नाव की सीमा से है।

(4) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर के अध्यक्ष से है।

(5) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हों।

**6–खुले में कचरा फेंकने, पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने व स्वच्छ वातावरण में व्यवधान–**

व्यक्ति (अपशिष्ट उत्पादन व अन्य) ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, परिसर के बाहर, खुले में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा, न गाड़ेगा।

नगर पंचायत, सफीपुर सीमान्तर्गत सार्वजनिक जगह/सड़क/खुले में या जल निकास या नाला/नाली में कूड़ा/कचरा फैलाने/फेंकने/गाड़ने पर न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क पर यंत्र/तंत्र थूकने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में नहाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ/खुले में मूत्र त्याग करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ/खुले में शौच करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

जानवरों/पशुओं/पक्षियों को पंचायत सड़क/फुटपाथ पर बांधने/खड़ा करने पर अर्थ दण्ड शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर कपड़े धोने अथवा अन्य इसी तरह की गंदगी फैलाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

**7–कचरा पृथक्करण, संग्रहण–**

अपृथक्कीकृत कचरा उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड–

घरेलू रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

बल्क जनरेटर रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

अजैविक कचरे को पृथक्कीकृत रूप में न उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

गार्डेन/बागवानी अपशिष्ट को मानकों के अनुसार पृथक्कीकृत न करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

खाद्य मांस अपशिष्ट को पृथक्कीकृत करके न उपलब्ध कराने पर अर्थ दण्ड/जुर्माना रु0 300.00 (तीन सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

पालतू पशुओं द्वारा नगर पंचायत सड़क/नाला/नाली/फुटपाथ पर गंदगी/गोबर करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

8–मरे हुये बड़े जानवर (पालतू) को उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

9–मरे हुये छोटे जानवर (पालतू) उठाने पर शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

10–कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत को सूचित किये बिना किसी भी अनुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा। शादी/विवाह समारोह आदि से उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई हेतु शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

11–प्रत्येक सड़क/फेरी बिक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान हरा एवं नीला पृथक-पृथक अपने पास रखेगा एवं यथा भोज्य-अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियों फल आदि और इन्हें नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा। विभिन्न प्रकार के चाट/फल/रेहड़ी के ठेलों आदि पर सूखा एवं गीला कचरा पृथक-पृथक एकत्रीकरण हेतु डस्टबिन/ कूड़ादान नहीं पाये जाने पर अर्थदण्ड/शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

12–नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा/कचरा जलाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 5000.00 (पांच हजार रुपये) (साधारण क्षति पर) एवं बल्क मात्रा में कूड़ा जलाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

13–निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट स्वयं के परिसर में एकत्रित किया जायेगा तथा इसके निस्तारण हेतु मलबा निस्तारण शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) प्रति वाहन प्रति प्रकरण।

14–सड़क/फुटपाथ के किनारे अवैध रूप से निर्माण सामग्री मौरंग, बालू, ईंट, भवन-मलबा एवं ध्वंसा अपशिष्ट आदि पाये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

15–नालियों एवं फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे, अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण।

16–डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पंचायत, सफीपुर द्वारा यूजर चार्ज के रूप में–

घरेलू (50 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 15.00 (पन्द्रह रुपये) प्रति माह।

घरेलू (50 वर्ग मी0 से 300 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 30.00 (तीस रुपये) प्रति माह।

घरेलू (300 वर्ग मी0 से अधिक के मकानों पर) शुल्क रु0 50.00 पचास रुपये) प्रति माह।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान–दुकान, ढाबा, स्वीट हाउस, कॉफी शॉप, आदि रु0 100.00 (सौ रुपये) प्रति माह।

गेस्ट हाउस–रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रतिमाह।

हास्टल–रु0 400.00 (चार सौ रुपये) प्रति माह।

होटल/रेस्टोरेन्ट (बिना श्रेणी) से–रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति माह।

होटल/रेस्टोरेन्ट (3 स्टार श्रेणी तक) से–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति माह।

होटल/रेस्टोरेन्ट (3 स्टार श्रेणी से ऊपर) से–रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति माह।

व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शिक्षण संस्थान–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) मासिक।

क्लीनिक डिस्पेंसरी एवं लैबोरेटरी रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति माह।

छोटी एवं घरेलू औद्योगिक वर्कशाप (हानिकारक रहित कचरा) प्रतिदिन 10 (दस) किलोग्राम कचरा उत्पादन पर रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति माह।

गोदाम, कोल्ड स्टोर (हानिकारक रहित कचरा), रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति माह।

मैरिज हाल, फेस्टिवल हाल, मेला एवं प्रदर्शनी 3,000.00 वर्ग मी0 तक क्षेत्रफल में रु0 4,000.00 (चार हजार रुपये) प्रति कार्यक्रम।

उपरोक्त में अंकन से छूटे हुये अन्य श्रेणी के कचरा उत्पादन नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार आरोपित किया जायेगा।

17–नगर पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालयों प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 3.00 (तीन) प्रति एवं शौंचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क चार्ज रु0 5.00 (पांच) प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

18–नगर पंचायत, सफीपुर सीमान्तर्गत खुले में शौंच/मल त्याग करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति व्यक्ति।

19–नगर पंचायत, सफीपुर सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं के पार्क/डिवाइडरों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) देय होगा।

20–उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1056/9-7-18-29 (लखनऊ/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (विनिमयन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क, 7, 12 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुच्छेद 243 के अधीन गठित नगर पंचायत के सीमाक्षेत्र में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों टंबलरों, थर्मोकोल, प्लास्टिक कैरीबैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, भण्डारण, वितरण,

परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसके उल्लंघन पर शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट है। जो निम्नवत् है–

| क्र0 सं0 | प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरीबैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा | धनराशि |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 1 | 100 ग्राम तक | 1,000.00 |
| 2 | 101 ग्राम–500 ग्राम | 2,000.00 |
| 3 | 501 ग्राम–1 किलोग्राम | 5,000.00 |
| 4 | 1 किलोग्राम–5 किलोग्राम | 10,000.00 |
| 5 | 5 किलोग्राम से अधिक | 25,000.00 |

"नगर पंचायत सफीपुर (उन्नाव) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2019" में उल्लिखित शुल्क/जुर्माना/अर्थदण्ड सम्बन्धित द्वारा नगर पंचायत को समय से अदा न करने की स्थिति में उसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थान से भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार पंचायत में निहित होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सफीपुर,
उन्नाव

## कार्यालय, नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव

19 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 11-1447उपा0प्रका0/न0पं0स0/2020-21–उ0प्र0 नगरपालिका, अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में "विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 बनायी गयी है। जिसे उक्त ऐक्ट की धारा 301 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक पायनियर समाचार-पत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 एवं दैनिक विचार सूचक समाचार-पत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई हैं। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

### "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019"

शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव में विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

**1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–**

- यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी।
- यह नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव में प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–

उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये–

- "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव के अधिशासी अधिकारी से है।
- "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत सफीपुर, जनपद उन्नाव के प्रभारी अधिकारी से है।
- "लाइसेंसिंग अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत सफीपुर, जनपद उन्नाव के लाइसेंसिंग अधिकारी से है।
- "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
- "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव से है।

3–**उपनियम**–

- इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाईसेन्स प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नहीं चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाइसेन्स दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स की अवधि एक वित्तीय वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से लागू हो 31 मार्च को समाप्त होगी।
- प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगर पंचायत सफीपुर में जमा कर अथवा पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।
- दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉटों का मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
- इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु प्राप्त लाइसेन्स से भिन्न होगा।
- कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकारी नहीं होगा।
- नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव के अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाइसेन्स दिखाने के लिये बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।
- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव के द्वारा लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा।
- जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।
- इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व में प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेंगी।
- वाहन के लाइसेन्स न बनाने अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर इसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते हैं तत्पश्चात् 15 दिन में लाइसेन्स न बनवाने पर लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।
- उपनियमों में संशोधन पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते हैं।
- वित्तीय वर्ष के माह जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु0 100.00 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।
- दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाइसेन्स शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति करायी जायेगी।
- नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाइसेन्स शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।
- दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुले जमीन अथवा किराये के मकान/दुकान/खुले जमीन पर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा।
- सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेन्स को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नहीं होने पर लाइसेन्स देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

**4–लाइसेंस शुल्क–**

शासनादेश संख्या 541/नौ-9-99-23ज/97टी0सी0, दिनांक 15 फरवरी, 1999 समहित संख्या 1241/नौ-9-98-23ज/97, दिनांक 10 जून, 1998 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लाइसेंस शुल्क (35 मद) अनुसूची दरें वसूली प्रभावी रहेगा।

**वार्षिक दरें–**

| क्र0 सं0 | दुकान/व्यवसाय का नाम | लाईसेन्स हेतु निर्धारित दरें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु0 |
| 1 | पाँच सितारा होटल | 12,000.00 |
| 2 | तीन सितारा होटल | 9,000.00 |
| 3 | होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस (10 शैय्या तक) | 900.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 4 | प्राईवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर) | 5,000.00 |
| 5 | प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक) | 3,000.00 |
| 6 | प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर) | 5,000.00 |
| 7 | प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक) | 3,000.00 |
| 8 | प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन) | 2,000.00 |
| 9 | प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त) | 5,000.00 |
| 10 | एक्स-रे क्लीनिक | 2,000.00 |
| 11 | पैथालोजी सेन्टर | 2,000.00 |
| 12 | प्राइवेट क्लीनिक | 1,000.00 |
| 13 | आटो रिक्शा/ई-रिक्शा 7 सीटर तक | 500.00 |
| 14 | आटो रिक्शा/ई-रिक्शा 4 सीटर | 250.00 |
| 15 | आटो रिक्शा/ई-रिक्शा 2 सीटर | 150.00 |
| 16 | बस | 1,500.00 |
| 17 | मिनी बस | 1,000.00 |
| 18 | टैम्पों/जीप/टैक्सी आदि | 500.00 |
| 19 | तांगा | 30.00 |
| 20 | रिक्शा किराये पर चालित | 100.00 |
| 21 | रिक्शा निजी चालित | 50.00 |
| 22 | रिक्शा चालक शुल्क | 20.00 |
| 23 | ठेला | 75.00 |
| 24 | हाथ ठेला | 20.00 |
| 25 | ट्राली मशीन चालित | 500.00 |
| 26 | अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन | 750.00 |
| 27 | धुलाई गृह लान्ड्री | 500.00 |
| 28 | ड्राई क्लीनर लॉण्ड्री | 1,000.00 |
| 29 | फाइनेन्स कम्पनी | 10,000.00 |
| 30 | इंश्योरेन्स कम्पनी | 15,000.00 |
| 31 | फाउंडिंग इण्डस्ट्रीज | 500.00 |
| 32 | पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु) | 50.00 |
| 33 | हड्डी/खाल/बाल गोदाम | 1,000.00 |
| 34 | पशु पालन (प्रति पशु) | 10.00 |
| 35 | कांजी हाउस में बंद जानवरों पर जुर्माना | 350.00 |
| | (क) प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर | 50.00 |
| | (ख) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर | 25.00 |

**5–जलमूल्य वसूली–**

- उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 1010-19-2-96(2)-96 दिनांक 08 जनवरी, 1997 के द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत की निम्नवत् दरें प्रस्तावित हैं–

| क्रमांक | धरेलू दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान | धरेलू संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | रु0 30.00 | रु0 50.00 |
| | व्यावसायिक दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान | व्यावसायिक संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान |
| | रु0 50.00 | रु0 100.00 |

- नगर पंचायत के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों के घरेलू समरसेविल पानी का उपयोग करते हैं का वार्षिक शुल्क रु0 500.00 देय होगा।
- ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक समरसेविल का प्रयोग करते हैं वार्षिक मूल्य रु0 1,000.00 देय होगा।
- वसूली अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

- नगर पंचायत वार्षिक बिल वितरण कराकर वसूली करायेगी।
- नगर पंचायत समुचित अभिलेखों को प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमें डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार कराना तथा निर्धारित समय में बिल तैयार कर वितरित करना।

**6–डिश एन्टीना शुल्क–**

- नगर पंचायत सफीपुर सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।
- प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन रु0 10.00 प्रति माह शुल्क लिया जायेगा।
- डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शनों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा।
- कनेक्शनों की जांच नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा कभी भी की जा सकती है।
- केबिल तार को इस प्रकार डाला जायेगा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।

**7–शो टैक्स–**

- नगर पंचायत सफीपुर सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों से रु0 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

**8–विज्ञापन शुल्क–**

- सचिव, उत्तर प्रदेश, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 618/नौ-9-2012-277ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के संबंध में दिशा निर्देश–
- विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्वाद, गमनागन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।
- विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।
- विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बॉस या लकड़ियों से बांधा नहीं जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरूपित न हो।
- विज्ञापन कर रु0 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।
- कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उससे सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

**9–ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पर शुल्क–**

- पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर 250 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 3,000.00 एवं 400 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक प्रति ट्रान्सफार्मर।
- पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 25,000.00 वार्षिक।

**10–नगर पंचायत एवं बारातघर पर किराया शुल्क–**

- नगर पंचायत दुकान एवं सम्पत्तियों को भली-भांति रख-रखाव करने हेतु प्रत्येक पांच वर्ष में 10 प्रतिशत किराये में वृद्धि करेगी।
- ऐसे किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध-पत्र उल्लंघन करने पर नगर पंचायत द्वारा बेदखल नोटिस जारी कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।
- नगर पंचायत सफीपुर द्वारा मो0 किलाबाजार में निर्मित बारातघर का किराया रु0 1,000.00 प्रतिदिन तथा कार्यक्रम के उपरांत बारातघर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा।

**11–अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष–**

- मछली फुटकर बिक्री रु0 500.00
- मछली थोक बिक्री रु0 1,000.00
- फल फुटकर बिक्री रु0 5,300.00
- फल थोक बिक्री रु0 2,000.00
- सब्जी फुटकर बिक्री रु0 500.00
- सब्जी थोक बिक्री रु0 2,000.00
- अण्डा फुटकर बिक्री रु0 500.00

- अण्डा थोक बिक्री रु0 2,000.00
- मुर्गा, बकरा, भैंस-भैंसा बिक्री रु0 10,000.00

**12–विविधकर (शुल्क) की दरें–**

- प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 (सौ रु0 मात्र) प्रति प्रमाण-पत्र।
- पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 400.00 रु0 चार सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण कार्य हेतु 800.00 रु0 आठ सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) 1000.00 रु0 एक हजार मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम मे निर्माण कार्य हेतु रु0 1500.00 (एक हजार पाँच सौ मात्र) प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु0 2,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम मे शुल्क रु0 4,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।
- पंचायत सीमा में स्थित पैट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार मात्र) वार्षिक।
- पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) वार्षिक।
- पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार मात्र) वार्षिक।
- पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढ़ाबा पर व्यावासायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार मात्र) वार्षिक।
- पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रुई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1000.00 (रु0 एक हजार) वार्षिक।
- गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।
- पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 3.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।
- पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।
- पंचायत सीमा मे स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यावयसायिक शुल्क रु0 100.00 मासिक तथा बड़े दुकानदारो (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यावयसायिक शुल्क रु0 200.00 मासिक।
- छोटी बाउण्ड्री युक्त भूखण्ड या मकानों के मध्य खाली भूखण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भूखण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 1,500.00 (रु0 एक हजार पाँच सौ) मात्र।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित राइस,गन्ना मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5000.00 वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित आर0ओ0 प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क 3,000.00 (तीन हजार) वार्षिक।
- मानचित्र शुल्क/मानचित्र एन0ओ0सी0 शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति मानचित्र लिया जायेगा।
- नगर पंचायत जे0सी0बी0 किराया रु0 800.00 (आठ सौ) रु0 प्रति घंटा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने जाने का ईंधन व्यय अनुपातिक पृथक रुप से।

- मोबाइल टायलेट किराया रू0 1,000.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।
- नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठों पर लाइसेंस शुल्क 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक शुल्क।
- नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंको पर व्यावसायिक शुल्क 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक प्रति शाखा।
- नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु0 2,000.00 (दो हजार) रूपया प्रति कनेक्शन।
- नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु0 500.00 (पाँच सौ) रूपया प्रति कनेक्शन।
- नगर पंचायत सफीपुर सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु0 25,000.00 (रु0 पच्चीस हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त 1,500.00 (एक हजार पांच सौ) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।
- ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।
- शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु0 2,000.00 वार्षिक (रु0 दो हजार) मात्र।
- देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक।
- विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार) वार्षिक।
- बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक।
- माडल शाप व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 25,000.00 (रु0 पच्चीस हजार) वार्षिक।
- समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रू0 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक।
- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी ऐक्ट 2010 की धारा 15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5,000.00 (पांच हजार) मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र अर्थदण्ड।

**दण्ड**

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

**नोट–**उपरोक्त ''नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविध कर/शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत सफीपुर, उन्नाव की उपविधि की दरों में कोई विरोधाभास हो, तो उस स्थिति में विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 प्रभावी मानी जायेगी। तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त मदों पर व्यावसायिक शुल्क का निर्धारण संशोधित लाइसेंस शुल्क दर उपविधि, 2010 के आधार पर किया जायेगा। उक्त उपविधि में किसी भी प्रकार के संशोधन/अद्यतन करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सफीपुर,
उन्नाव।

# कार्यालय, नगर पंचायत, जहॉगीरपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर

11 दिसम्बर, 2017 ई0

सं0 532/न0पं0जहॉ0/2017—नगर पंचायत जहॉगीरपुर जनपद गौतमबुद्धनगर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1916) की धारा 293 (क) (ख), 298 (घ)(समार्जन) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हैंडलिंग) नियम, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 में दिये गये आदेशों के अन्तर्गत अपनी सीमा में स्थित भवनों से निकलने वाले कूड़े को उठाने हेतु यूजर चार्जेज उपविधि बनायी है। जिसका प्रकाशन पत्र सं0 321/न0पं0जहॉ/2017 दिनांक 04 सितम्बर, 2017 के माध्यम से समाचार-पत्रों में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु कराया गया था। प्रकाशन की तिथि से 01 माह के अन्दर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये। समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति व सुझाव निकाय में प्राप्त नहीं हुये हैं। प्रस्तावित उपविधि के अन्तिम रूप को नगर पंचायत, जहॉगीरपुर के द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को अनुमोदित किया गया। इस उपविधि को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (1) के प्रयोजनार्थ अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

## उपविधि

(1) यह उपविधि नगर पंचायत जहॉगीरपुर (गौतमबुद्धनगर), यूजर चार्जेज उपविधि 2017 कही जायेगी।

(2) यह नगर पंचायत जहॉगीरपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2—**परिभाषायें—**

(क) **''नगर पंचायत''** का तात्पर्य नगर पंचायत जहॉगीरपुर गौतमबुद्धनगर से है।

(ख) **''यूजर चार्जेज क्षेत्र''** से तात्पर्य नगर पंचायत जहॉगीरपुर की सीमा से है व भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी।

3—''**अधिशासी अधिकारी**'' से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जहॉगीरपुर (गौतमबुद्धनगर) से है।

4—''**प्राधिकृत अधिकारी**'' से तात्पर्य नगर पंचायत जहॉगीरपुर (गौतमबुद्धनगर) के उन अधिकारियों से है जिसे अधिशासी अधिकारी समय-समय पर इन उपविधियों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करें।

5—**''यूजर चार्जेज शुल्क''** का तात्पर्य उस चार्ज से है जो नगर पंचायत जहॉगीरपुर की सीमा में अधिशासी अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अन्तर्गत नगर पंचायत जहॉगीरपुर की किन्हीं सेवाओं/संसाधनों के प्रयोग के बदले वसूल किया जायेगा।

6—यूजर चार्ज इस शुल्क उपविधि के नियम 12 के अन्तर्गत दर्शायी गयी तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

7—यूजर चार्ज नगर पंचायत जहॉगीरपुर के कर्मचारी या इस कार्य हेतु निर्धारित एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा। बिना रसीद कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा। रसीद में दिनांक मास व वर्ष एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होगा। शुल्क भुगतानकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें और नगर पंचायत जहॉगीरपुर के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के मांगने पर तुरन्त प्रस्तुत करें ऐसे अधिकारी निरीक्षण के उपरान्त रसीद वापस कर देंगे। नगर पंचायत जहॉगीरपुर के कर्मचारियों द्वारा लिया गया शुल्क अपने कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में नगर पंचायत जहॉगीरपुर में जमा किया जायेगा

जिसकी चेकिंग समय-समय पर अधिशासी अधिकारी/उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा लेखा लिपिक द्वारा किया जाया करेगी।

8–निकाय प्रत्येक वार्ड/मोहल्ले में कंटेनर उपलब्ध करायेगी।

9–भवन स्वामी अपने भवन का कूड़ा कंटेनर में डालेगा।

10–यूजर चार्ज आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक भवनों के परिसर का कंटेनर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था के लिये वसूल किया जायेगा।

11–यूजर चार्जेज भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

12–यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का यूजर्स चार्जेज अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के यूजर्स चार्जेज की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

13–विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) यूजर्स चार्जेज से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत जहॉगीरपुर से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

14–वह वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं के घर में आवासित हो एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप में अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको यूजर चार्ज से मुक्त रखा जायेगा, परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पंचायत जहॉगीरपुर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा। नगर में जिस परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी उसका प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर वसूली/निःशुल्क करने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्णय करने का अधिकार होगा।

15–नगर पंचायत जहॉगीरपुर की सेवाओं/संशोधनों के प्रयोग के लिये निर्धारित यूजर चार्ज।

**आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने की प्रस्तावित दरें**

| आवासीय | विवरण | दर/प्रतिमाह |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु0 |
| श्रेणी क | गृहकर से छूट वाले परिवार | 30.00 |
| श्रेणी ख | 200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई | 50.00 |
| श्रेणी ग | 200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई | 80.00 |
| श्रेणी घ | हाउसिंग सोसाईटी, अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट | 40.00 |
| श्रेणी ङ | यात्री धर्मशालायें | 30.00 |
| **अनावासीय/व्यवासायिक** | | |
| श्रेणी क | 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान | 50.00 |
| श्रेणी ख | 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान | 100.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| श्रेणी ग | पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्राये तक | 150.00 |
| | व | |
| | पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्राये तक | 300.00 |
| | व | |
| | पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सैन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्राये | 500.00 |
| श्रेणी घ | इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेन्टर शॉपिंग कम ऑफिस कॉम्पलैक्स, प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं के हास्टल | 500.00 |
| श्रेणी ङ | बैंक कार्यालय, एल0आई0सी0 कार्यालय, आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक | 500.00 |
| श्रेणी च | मैरिज होम, माल्स, बैक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट होटल 10 कमरों से अधिक | 1,000.00 |
| श्रेणी छ | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल | 200.00 |
| श्रेणी ज | प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बेड तक) | 500.00 |
| श्रेणी झ | प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, (20 बेड से अधिक) | 1,000.00 |
| श्रेणी ञ | पैथेलॉजी लैब | 200.00 |
| श्रेणी ट | क्लीनिक | 100.00 |
| श्रेणी ठ | अन्य सरकारी कार्यालय | 100.00 |
| श्रेणी ड | दवाईयों की दुकान | 150.00 |
| श्रेणी ढ | रिटेल चैन्स (जैस बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि) | 1,000.00 |
| श्रेणी ण | रोड साईड वेन्ड (वेन्टर जोन सहित) | 5.00 प्रतिदिन |
| श्रेणी त | रोड साईड फास्ट फूड व चाट हाऊस आदि | 10.00 प्रतिदिन |
| श्रेणी थ | गोदाम एवं वेयर हाऊस 1,000 वर्ग फीट | 250.00 |
| श्रेणी द | गोदाम एवं वेयर हाऊस 1,000 वर्ग फीट से 5,000 वर्ग फीट तक | 500.00 |
| श्रेणी ध | शराब की दुकानें | 500.00 |
| श्रेणी न | हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार | 20.00 प्रतिदिन स्टॉल |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| श्रेणी प | शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज | 200.00 |
| श्रेणी फ | प्रदर्शनी ग्राऊन्ड, मेला | 100.00 प्रतिदिन |
| श्रेणी ब | लघु उद्योग (Small Industry) 1000 वर्ग फीट तक | 150.00 |
| श्रेणी भ | उद्योग (Industry) 1000 वर्ग फीट से अधिक | 250.00 |
| श्रेणी म | प्रिंटिंग प्रेस | 100.00 |
| श्रेणी य | पैट्रोल पम्प | 200.00 |
| श्रेणी र | ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा-भैस, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि) पाल रखे हो। | 20.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा। |

**शास्ति**

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हैडलिंग) नियम, 2000 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत जहॉगीरपुर, गौतमबुद्धनगर निश्चय करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा, जो रुपये 5,000.00 (पॉच हजार रुपये मात्र) होगा और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत जहॉगीरपुर के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन अर्थ दण्ड लिया जायेगा।

वन्दना शर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत जहॉगीरपुर,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

## कार्यालय, नगर पंचायत, जहॉगीरपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर

11 दिसम्बर, 2017 ई0

सं0 533/न0पं0जहॉ0/2017—नगर पंचायत जहॉगीरपुर जनपद गौतमबुद्धनगर ने अपनी सीमा में स्थित समस्त प्रकार के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों पर गृहकर आरोपित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 408/9-10-63ए,/95 टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वकर प्रणाली के लागू किये जाने हेतु नियमावली बनायी गयी है। जिसका प्रकाशन पत्र सं0 318/न0पं0जहॉ0/2017 दिनांक 04 सितम्बर, 2017 के माध्यम से समाचार-पत्रों में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु कराया गया था। प्रकाशन तिथि से 01 माह के अन्दर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये। समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव निकाय में प्राप्त नहीं हुये हैं। प्रस्तावित

उपविधि के अन्तिम रूप को नगर पंचायत जहॉगीरपुर के द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को अनुमोदित किया गया। इस उपविधि को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (1) के प्रयोजनार्थ अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

## खण्ड (क)

### सम्पति पर स्वःकर निर्धारण नियमावली

1–नाम–यह नियमावली सम्पत्ति पर स्वःकर निर्धारण नियमावली नगर पंचायत जहॉगीरपुर, गौतमबुद्धनगर के नाम से जानी जायेगी, जो नगर पंचायत जहॉगीरपुर, (गौतमबुद्धनगर) की सीमा के अन्दर राजकीय गजट में प्रकाषित तिथि से लागू होगी।

2–अर्थ–स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत भवन/भूमि स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर आंगणन कर भवन/भूमि पर कर निर्धारण कर सकेगा।

3–**परिभाषाएं–**इस नियमावली में,

(1) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत जहॉगीरपुर से है।

(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है,

(3) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जहॉगीरपुर से है,

(4) ''भवन/भूमि'' से तात्पर्य नगर पंचायत जहॉगीरपुर की सीमा में स्थित भूमि/भवन से है।

(5) ''स्वकर निर्धारण प्रणाली'' से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश सं0 408/नौ-9-10-63 अ/95 टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त निकायों में लागू किया गया है एवं आदेश सं0 344/79-वि-1-11-1 (क) 15-2011 लखनऊ दिनाांक 11 मार्च, 2011 द्वारा राजतपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(6) ''आवासीय भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है, जिसका प्रयोग उसके स्वामी/अध्यासी द्वारा निवास के रूप में किया जा रहा है। किन्तु होटल, लाज, व वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले भवन शामिल नहीं होंगे।

(7) ''व्यावसायिक भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है, जिसका प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में हो रहा है।

(8) ''मिश्रित भवन'' का तात्पर्य उस भवन से है, जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है।

(9) ''पक्का भवन'' से तात्पर्य ऐसा भवन से है जिसकी छत आर0सी0सी0 या आर0बी0 पद्धति से निर्मित हो तथा आधुनिक भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया हो।

(10) ''अन्य पक्का भवन'' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत कड़ी पटियों से निर्मित हो।

(11) ''कच्चा भवन'' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, लोहा/सीमेन्ट की चादर, आदि से निर्मित है।

(12) ''मासिक किराया दर'' से तात्पर्य इस नियमावली में भवन/भूमि कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिवर्ग फुट किराये से है।

(13) ''वार्षिक मूल्य'' से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।

(14) ''आच्छादित क्षेत्रफल'' से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

(15) ''कारपेट एरिया'' से तात्पर्य उस क्षेत्रफल से है, जैसा कि इस प्रयोजन के लिये दिनांक 11 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(16) ''मुहल्ले की श्रेणी'' से तात्पर्य मोहल्ले के विकास की स्थिति, भवनों की स्थिति, नाली, सड़क, खड़ंजे, स्थानीय लोगों के रहन-सहन इत्यादि से है एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजनों के लिये कलैक्टर द्वारा निर्धारित नियत सर्किल दर के आधार पर अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत की गई से है।

(17) ''मार्ग की चौड़ाई'' से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित दोनों सरकारी नाली/नाला के बीच की दूरी से है।

(18) कर समाहर्ता या राजस्व लिपिक से तात्पर्य नगर पंचायत जहॉगीरपुर, (गौतमबुद्धनगर) में इन पदों पर कार्यरत कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक से है।

4–**क्षेत्रफल की गणना विधि–**कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जायेगी–

(1) कक्ष–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप। (वर्ग फुट में)

(2) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप। (वर्ग फुट में)

(3) बालकनी गलियारा, रसोईघर और भण्डारगृह–आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप। (वर्ग फुट में)

(4) गैराज–आन्तरिक आयाम की माप का 25 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)

(5) स्नानगृह, शौचालय, डारमैट्री और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

5–**वार्षिक मूल्य की गणना विधि–**

(1) भवन का वार्षिक मूल्य= 12 × खण्ड (ख) में उपलब्ध सूची अनुसार मासिक किराया दर × भवन का कारपपेट एरिया

या

आवासीय भवन/भूमि का वार्षिक मूल्य= 12 × क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

एवं

(2) व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × 2 × क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन का कारपेट एरिया।

या

व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × 2 × क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

**स्पष्टीकरण–**(1) मिश्रित भवनों के लिये वार्षिक मूल्य, आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों के वार्षिक मूल्य की अलग-अलग गणना के योग के बराबर हाोगा।

(2) स्वकर कर देय धनराशि की गणना को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा।

6–**वार्षिक मूल्य के आधार पर आंगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य–**

नगरपालिका नगर पंचायत या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेंगा। (संशोधित धारा 141 (संशोधित धारा 141)।

(क) प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर इस प्रकार होगा जैसा कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार भवन एवं भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिानियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर नियत किया जायेगा। प्रथम बार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का निर्धारण करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पंचायत को सूचित किया जायेगा। यदि 2 वर्षों के उपरान्त प्रति प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का परिवर्तन नहीं किया जाता है तो, वर्तमान उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 2 में निर्धारित प्रथम प्रयोज्य दरों को आधार मानते हुए अगिम प्रति 2 वर्षों हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि से मूल्यांकन किया जायेगा। उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 1 एवं 2 का यथा आवष्यकता गजट/प्रकाशन पृथक् से किया जा सकता है।

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र या उसके भाग में उपविधि में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय.समय पर किराया दर का निर्धारण एवं कर निर्धारण सूची तैयारर करवाई जायेगी।

(ग) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन एवं भूमि के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं किया जा सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारित विवरण प्रपत्र में, जैसा कि नगर पंचायत निर्धारित करे, जमा कर सकता है।

(घ) उपधारा (5) एवं अधिनियम में विनिर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन एवं अधिनियम की धारा 140, 141, 142, 143, 144, 147 व 149 का प्रवर्तन अधिशासी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(ङ) सम्पत्ति कर की स्वकर प्रणाली लागू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी के सम्बन्ध में सर्वे कराया जायेगा। सर्वेक्षण में समस्त सम्पत्तियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जायेगी। यदि किसी एक भवन में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों गतिविधियाँ पाई जाती है तो व्यवसायिक भवन को बटे में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जायेगी। जिन भवनों/भूमियों के सम्बन्ध में स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हैं, अथवा सर्वे में जिनके स्वामियों का पता नहीं चलता है तो सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व, ऐसे भवनों में रहने वाले किरायेदार/अध्यासी का ही होगा।

7– (क) भवन स्वामियों को 30 सितम्बर तक चालू मांग का गृहकर–जलकर जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ख) भवन स्वामियों को 30 नवम्बर तक चालू मांग का गृहकर–जलकर जमा करने पर 05 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ग) चालू मांग को 31 मार्च तक जमा करने पर न तो किसी प्रकार की छूट दी जायेगी और न ही अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(घ) 31 मार्च के पश्चात् गृहकरर–जलकर जमा करने पर अर्थदण्ड के रूप में 18 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज देय होगा।

(ङ) सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/संगठनों से सम्बन्धित भवन पर आरोपित करों का भुगतान 31 मार्च के पश्चात् करने पर 18 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज के रूप में अर्थदण्ड भी लिया जायेगा।

(च) ब्याज की गणना करों के जमा करने की तिथि से सम्बन्धित माह की अन्तिम तिथि तक की जायेगी।

(छ) करों से सम्बन्धित धनराशि सीधे बैंक में जमा करने के सम्बन्ध में परिस्थितिजन्य निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(ज) व्यवसायिक भवनों (पंजीकृत मूल्य आधारित) पर कर निर्धारण नगर पालिका अधिनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पूर्ववत किया जायेगा।

(झ) स्वकर निर्धारण से पूर्ण विवरण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में भवन स्वामी द्वारा निकाय कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि भवन नव-निर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण पत्र निकाय कार्यालय में जमा किया जायेगा एवं शुद्धता का परीक्षण कराने हेतु प्राधिकृत कार्मिक/कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक से भवन की जाँच कराई जा सकती है।

(ञ) नगर पंचायत की अन्य उपविधियों/अधिनियम/शासनादेशों आदि का उल्लंघन करने पर आरोपित शास्तियों काो उल्लंघनकर्ता के सम्पत्ति कर खाते में अवशेष करों/शास्तियों/देयताओं के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को यह विश्वास होने पर कि पर्याप्त समय के उपरान्त भी करदाता द्वारा देनदारियाँ नहीं चुकाई गई हैं, समस्त ददेनदारियों का भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

8–**रेन्ट कन्ट्रोल के मकान**–रेन्ट कन्ट्रोल, 1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत जहॉगीरपुर प्रत्येक करों की गणना के लिए वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा। बल्कि इसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

9–**कर निर्धारण दर**–भवन पर आंगणित वार्षिक किराया मूल्यांकन का 10 प्रतिशत गृहकर एवं 10 प्रतिशत जलकर निर्धारित होगा।

10–**वार्षिक मूल्य के निर्धारण में छूट**–

(1) **स्वः अध्यासित**–भवनों के लिये छूट.स्वः अध्यासन की अवधि की गणना उसके कर निर्धारण वर्ष से उसमें उल्लिखित मकानियत में निम्न प्रकार छूट देय होगी–

(क) 10 वर्ष पुराने स्व अध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) **किराये पर उठे भवन**–

(क) किराये पर उठे व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या किराया मूल्यांकन जो अधिक हो पर किया जायेगा।

(ख) किराये पर उठे आवासीय भवन जो 10 वर्ष तक पुराने होगे, का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 25 प्रतिषत अधिक होगा।

(ग) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने आवासीय भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगा।

(घ) 20 वर्ष से अधिक पुराने किराये पर उठे भवनाों का वार्षिक मूल्यांकन भवनों के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा।

11–**कर मुक्ति**–

(क) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई भवन जो 30 वर्गमीटर पर निर्मित किया हो उसका कारपेट एरिया 15 वर्गमीटर तक हो तथा उसके स्वामित्व में नगर पंचायत जहॉगीरपुर में कोई अन्य भवन न हो गृहकर से मुक्त होगा।

(ख) भवनों और भूमि या उसके भाग, जिनका अधिभोग और उपयोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त शैक्षिणक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिये किया जाता हो ;

(ग) भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हों, अथवा न हों। शैक्षणिक गतिविधियों से इतर परिसर कर मुक्ति दायरे से बाहर होंगे।

(घ) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि ;

(ङ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हो।

(च) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहां के जहाँ भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबन्ध लागू होते हों।

12–**विशेष वर्गों के लिये प्रावधान–**

जहाँ नगर पंचायत की राय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा, विकलांग एवं गरीब, भवन एवं भूमि के स्वामी की असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपयुक्त रूप से गणना की गई हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यापूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि वार्षिक मूल्य शून्य नहीं किया जा सकता है।

13–**शास्ति एवं अर्थदण्ड**–बिना समुचित कारण के उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल रहने, उपनियमों का उल्लंघन करने या भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्य छिपाने पर, कोई व्यक्ति रु0 1,000.00 से रु0 10,000,00 तक शास्ति भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

14–**उपसंहार**–इस नियमावली के प्रचलन में आते ही नगर पंचायत जहॉगीरपुर की पूर्व में लागू गृहकर-जलकर नियमावली स्वतः ही खण्डित मानी जायेगी। यद्यपि कि पूर्व प्रचलित उपविधि के अन्तर्गत सभी अवशेष देयताओं की वसूली की जायेगी।

**खण्ड (ख)**

नगर में स्थित मौहल्लों में आवासीय भवनों पर स्वकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित मूल्य (प्रतिवर्ग फुट)–

ए–**श्रेणी के मौहल्ले**–बोहरान, स्वामीपाडा, सुनारान।

| मार्ग की चौड़ाई | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मी0 तक | | | | 8 मी0 से अधिक किन्तु 16 मी0 से कम | | | | 16 मी0 से अधिक | | | |
| रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन | रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन | रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन |
| 0.05 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.08 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 0.75 |

बी–**श्रेणी के मौहल्ले**–कचेहरियान, ब्राहमण पुवईया, लिक्खीलाठा।

| मार्ग की चौड़ाई | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मी0 तक | | | | 8 मी0 से अधिक किन्तु 16 मी0 से कम | | | | 16 मी0 से अधिक | | | |
| रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन | रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन | रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन |
| 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.08 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |

सी–**श्रेणी के मौहल्ले**–जाटवान, व्यापारियान–1, व्यापारियान–2, कुम्हारान।

| मार्ग की चौड़ाई | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मी0 तक | | | | 8 मी0 से अधिक किन्तु 16 मी0 से कम | | | | 16 मी0 से अधिक | | | |
| रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन | रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन | रिक्त | कच्चा भवन | अर्ध-पक्का भवन | पक्का भवन |
| 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |

## खण्ड (ग)

## सम्पत्ति के हस्तानान्तरण/सम्पत्ति रजिस्टर में नाम परिवर्तन सम्बन्धी नियम

(1) यदि किसी भवन अथवा भूमि का जिस पर कर आरोपित है, उसका स्वामित्व हस्तान्तरित होता है तो स्वत्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति या संस्था, ऐसे हस्तान्तरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना बैनामें की प्रमाणित छायाप्रति व अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सम्पत्ति क्रय की धनराशि या वर्तमान प्रचलित सर्किल रेटों के अनुसार सम्पत्ति की कीमत (जो अधिक हो) का एक प्रतिशत की धनराशि नामान्तरण शुल्क के रूप में नगर पंचायत जहॉगीरपुर में जमा करते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जहॉगीरपुर को नामान्तरण हेतु आवेदन प्रेषित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में रु0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा। नामान्तरण शुल्क जमा करने का दायित्व स्वत्व पाने वाले व्यक्ति या संस्था का होगा।

(2) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस/ उत्तराधिकारी द्वारा मृत्यु की दिनांक से तीन माह के अन्दर नामान्तरण शुल्क के साथ लिखित सूचना इसकी लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जहॉगीरपुर को प्रेषित करनी होगी। अन्यथा रु0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा। नामान्तरण शुल्क उपविधि के खण्ड (ख) के प्रचलित मोहल्ले की श्रेणी ए, बी एवं सी हेतु क्रमशः रु0 500.00, रु0 300.00 एवं रु0 200.00 निर्धारित किया जाता है। विधवा, विकलांग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का नामान्तरण निःशुल्क किया जायेगा।

(3) नामान्तरण के आवेदन का निस्तारण अधिकतम 3 माह के अन्दर कर दिया जायेगा।

उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वकर प्रस्तावित स्वकर निर्धारण प्रणालि उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह इस विज्ञापन के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति निकाय में दर्ज करा दें अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त उपविधि को लागू किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

वन्दना शर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत जहॉगीरपुर,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

# कार्यालय, नगर निगम हथालन, गोरखपुर

06 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 23/न0आ0/एस0बी0एम0/2019-20—नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों, 2018 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के तहत अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये समस्त पूर्ववर्ती नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करके प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 03 मई, 2018 तथा मा0 सदन की पॉचवी बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 में नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों का प्रस्ताव पारित किया गया। तद्पश्चात नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियॉ जनसाधारण के सूचनार्थ दिनांक 09 मार्च, 2019 को ''हिन्दुस्तान'' हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र तथा ''अमर उजाला'' हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में एक माह के भीतर आपत्ति एवं अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकाशित कराया गया। उपरोक्त दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित आपत्ति/अनापत्ति आंमत्रण की कार्यवाही में नियमानुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुए। आपत्तियों/अनापत्तियों के निस्तारण हेतु नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, तथा मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी की गठित कमेटी ने निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में नियमावली में यथा आवश्क संशोधन किये जाने की संस्तुति आख्या दिनांक 10 जून, 2019 को नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। उत्क्रम में नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों 2018 के प्रस्ताव को पुनः अन्तिम रूप से पारित किये जाने हेतु मा0 नगर निगम सदन की 11वीं बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2019 प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पारित हुआ। तद्नुक्रम में नियमावली राजकीय गजट हेतु प्रस्तावित है।

## उपविधि

1—**संक्षिप्त नाम—**

यह उपविधियॉ नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियॉ, 2018 कहलायेगी।

**2—लागू होना—**यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

**3—परिभाषायें—**

(1) वातनिरपेक्ष पाचन से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें आक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबायिल नियोजन अंतर्वलित है।

(2) प्राधिकार से सुविधा के प्रचालक को बोर्ड या समिति द्वारा दी गयी सहमति अभिप्रेत है।

(3) जैव निम्नकरणीय पदार्थ से वह पदार्थ अभिप्रेत है, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है।

(4) जैविक मीथेनीकरण से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिये सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाइमी विघटन करती है।

(5) संग्रहण से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाया या हटाया जाना अभिप्रेत है।

(6) कचरा खाद बनाने से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैविक निम्नकरण अंतर्वलित है।

(7) निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण मरम्मत और ढहाने से सम्बन्धित कार्यवाही के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़िया और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(8) व्ययन से भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी स्मरणीय ठोस अपशिष्टों को अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(9) प्रारूप से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है।

(10) अपशिष्टों के उत्पादक से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।

(11) भूमिवरण से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल, अस्थिरता और कटाव के लिये संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गयी सुविधा में अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है।

(12) निक्षालितक से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमे से धुलिव अथवा लिम्बित पदार्थ का निष्करण किया है।

(13) लाइसोमीटर से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उसमें से जल की गति मापने के लिये किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणात्मक विश्लेषक के लिये अन्तःस्राव जल के एकत्रण के लिये किया जाता है।

(14) नगर निगम प्राधिकारी से नगरीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौपा जाता है।

(15) ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचरित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अभिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(16) प्रसुविधों के प्रचालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरक है। नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथक्करण भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटाने की सुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन व हथालन के लिये नगर निगम, प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है।

(17) गुटिकारण से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे गुटिकायें तैयार की जाती है। ठोस अपशिष्टों से तैयार की गयी लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़े होगें और इसके अन्तर्गत ईधन गुटिकायें भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है।

(18) प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(19) पुनःचक्रण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिये पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तित करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है।

(20) अनुसूची से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(21) पृथक्करण से नगरीय ठोस अपशिष्ट को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्ट को अलग-अलग वर्गो में करना अभिप्रेत है।

(22) राज्य बोर्ड या समिति से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है।

(23) भण्डारण से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है। जिसमें कूड़ा करकट बिखेरने, रोग वाहकों को आकर्षित करने, आवास पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(24) परिवाहन से विशेष रूप से डिजाईन की गयी परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध कूड़ा करकट बिखेरने, रोगवाहकों के कण को रोका जा सके।

(25) अधिभौमजल से वह जल अभिप्रेत है, जो भू-सतह तथा भौम जल स्तर के मध्य अर्थात असंतृप्त क्षेत्र में होता है।

(26) कृमि कचरा खाद बनाना जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिये केचुओं का उपयोग में जाने की प्रक्रिया है।

**4–नगर ठोस अपशिष्टों का प्रथक्करण–**

(1) समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उद्गम स्थल पर ही पृथक-पृथक सूखा एवं गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भन्डारित करना होगा व दिन में एक बार निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण हेतु उपलब्ध करायी गयी सेवा का मासिक शुल्क देकर निस्तारण करना होगा, ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट न फैले अन्यथा एन्टी लिटरिंग के लिये मौके पर कैरिंग चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग भी दायर किया जा सकेगा।

(2) नगर निगम गोरखपुर द्वारा समय-समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय सेनीटेशन वेलफेयर, एसोसियेशन, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, नगर निगम गोरखपुर के कर्मियों/अनुबन्ध सफाई कर्मियों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये अधिकृत होगा।

**5–नगरीय ठोस अपशिष्टिो को भण्डारण–**

नगर निगम गोरखपुर अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों द्वारा अस्वास्थ्यपरक/अस्वच्छकारी परिस्थितियों पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मापदन्डों को ध्यान में रखा जायेगा–

(1) निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के धनत्व को ध्यान में रखते हुये भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी, परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नही होगी। भण्डारण सुविधा मोबाईल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर होगी, जहां प्रयोक्ता पहुॅच सके।

(2) नगर निगम गोरखपुर अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उलब्ध करायी जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो, सौन्दर्यपरक रूप में प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं कूड़ेदान के भीतर ही अपना कचरा खाली कर सकें।

(3) नगर निगम गोरखपुर द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलो पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नानुसार रंग के पृथक-पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते है–

| | | |
|---|---|---|
| (ए) हरा | – | जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु। |
| (बी) सफेद | – | पुनःचक्रण योग्य अपशिष्टों हेतु। |
| (बी) काला/पीला/नीला | – | अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु। |

इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथालन निकाले जाने और परिवहन के लिये सुगम प्रचालन डिजाईन कैरियर वाहन काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेगें।

(4) शहर में स्थित सभी को-आपरेटिव, सोसाइटीज,एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनर जिसकी डिजाइन नगर निगम गोरखपुर द्वारा अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित कर सकेगें ताकि वहॉ उत्सर्जित दैनिक कचरे की भलि-भॉति भण्डारण हो सके, जिसे नगर निगम गोरखपरु वाहनों की व्यवस्था करवा कर उठवा सके।

(5) समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि अपने परिसर में उत्पन्न पुनःचक्रिय अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रैगपीकर्स) नगर निगम गोरखपुर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाड़ी को विक्रय कर दें, व किसी भी स्थिति में आम सड़क पर अथवा नगर निगम के कूड़ेदान/कन्टेनर में न डाले।

(6) अन्य समस्त कार्यवाही नगर निगम गोरखपुर द्वारा (बी0ओ0टी0/बी0जी0एफ0/स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर) की जायेगी और इस व्यवस्था का सभी संस्थान नगर निगम गोरखपुर द्वारा अनुमोदित यूजर चार्ज देकर अपनाना होगा, अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट को फैलाने वालों से कैरिंग चार्जेज मौके पर तत्काल वसूल किया जायेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(7) बूचड़खानो मांस-मछली, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्टों का जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति के होते है, प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में जाया जा सके और इसमें कोई संक्रामक बीमारी नही फैले। यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपना प्रबन्ध कर इसका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगर निगम अपशिष्ट फैलाने पर कैरिंग चार्जेज को अपना कर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर कैरिंग चार्जेज मौके पर वसूल किये जा सकेगें अथवा मा0 न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(8) जैव चिकित्सीय, अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा, और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिये प्रथम रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के नियमानुसार निस्तारण हेतु कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसीलिटी संयत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(9) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को ट्राई साइकिल रिक्शों अथवा आटो ट्रिपर गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुये कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लान्ट पर डलवाया जायेगा।

(10) बागवानी और निर्माण/ढहाये गये कार्यों से उदभूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानको के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। बागवानी के अपशिष्टो को नगर निगम गोरखपुर के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्यान्ह तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिवहन सम्भव हो सके। निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के अपशिष्ट को मकान मालिक अपने स्वयं के प्रबन्धन पर अथवा नगर निगम गोरखपुर द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन कराकर निर्धारित चिन्हित गन्तव्य स्थल तक पहॅचाना होगा। खुले स्थलों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलो पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलबा डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दन्डनीय होगा।

(11) अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियॉ को जलाया नहीं जायेगा।

(12) आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आस-पास मूलरूप से घुमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबंध करना होगा।

(13) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड़, पानी नाइट, स्वायल, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरूद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा, एवं मा0 न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

(14) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्कों इत्यादि में एकत्रित नही करेगा। किसी प्रकार का प्रदूषण गंदगी फैलाते हुये पाया जाता है तो दन्डनीय अपराध होगा और उससे कैरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

**6–नगर निगम गोरखपुर का दायित्व–**

(1) नगर निगम गोरखपुर प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी, क्षेत्र बाजारों पर्यटक स्थलों के आस-पास नगर निगम गोरखपुर के स्वयं के उद्यानों, शमशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्ष भर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहां से एकत्रित किया गया कचरा-कूड़ा नजदीक के घोषित कूड़ादन/कन्टेनर में एकत्रित करवाकर वहां से प्रतिदिन उसका परिवहन अंतिम निस्तारण स्थल तक बन्द वाहनों में करवाने के लिये प्रतिबद्ध होगा, जिसके लिये नगर निगम गोरखपुर अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं अन्य सफाई कर्मचारी तथा कर्मचारी रहित कालोनियों, क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिये अधिकृत होगी। ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा स्वास्थ्य हित में स्वच्छता एवं सुन्दरता सुनिश्चित करने में असमर्थ हो सके।

(2) प्रत्येक कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर कूड़ा/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय (सामुदायिक कूड़ादान कचरे का ट्रान्सफर स्टेशन शहर के कूड़े के अंतिम निस्तारण हेतु कचरागाह/लैण्डफिल) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतन्त्र होगा। नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट निर्माता को नगर निगम, गोरखापुर द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

**7–नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण–**

नगर निगम गोरखपुर क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिरोध होगा। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा-करकट फैलाते/रखते पाया गया तो नगर निगम गोरखपुर के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं होगा। संलग्न सूची-अ में घोषित समय-समय पर नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निर्धारित कैरिंग चार्जेज ऐसे व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने को सक्षम होगा।

नगर निगम गोरखपुर द्वारा इस हेतु–

(1) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2018 के अनुपालन में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये 'स्वच्छता मित्र आपके द्वारा'' योजना निगम के सभी क्षेत्रों/वार्डों में लागू की जायेगी।

(2) घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जायें, जो सामान्यतः समय प्रात 7.00 बजे से 11.00 बजे तक निर्धारित रूप से किया जायेगा। किन्तु यदि नगर निगम द्वारा कोई विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है तो इसके समय में बदलाव किया जा सकेगा। जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कचरा संग्रहण के समय घंटी/भोपू/सीटी बजाकर निवासियों को सूचित किया जायेगा।

(3) व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जायेगा।

4–घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरे (यूजर चार्जेज) संकल्प प्रस्तावित है–

| क्र0 सं0 | उपयोग का प्रकार | अवधि | नगर निगम द्वारा निर्धारित दरें (रु0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले–** | | |
| | | | रु0 |
| ए | झोपड़ी | प्रतिमाह | निःशुल्क |
| बी | पक्का घर/फ्लैट | प्रतिमाह | 30.00 |
| 2 | ई0डब्लू0एस0 | प्रतिमाह | 40.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | रु0 |
| 3 | एम0आई0जी0 200 वर्ग मीटर वाले | प्रतिमाह | 50.00 |
| 4 | एच0आई0जी0 200 वर्ग मीटर वाले | प्रतिमाह | 70.00 |
| 5 | **सब्जियों एवं फलों के विक्रेता–** | | |
| ए | ठेला | प्रतिमाह | 140.00 |
| बी | चलती फिरती दुकान वाले | प्रतिमाह | 455.00 |
| 6 | **मांस मछली की दुकान वाले** | | |
| ए | सड़कों के किनारे | प्रतिमाह | 350.00 |
| बी | मांस एवं मछली की दुकान लगाने वाले | प्रतिमाह | 700.00 |
| **7** | **रेस्टोरेन्ट** | | |
| ए | छोटे रेस्टोरेन्ट 200 वर्ग फीट तक | प्रतिमाह | 700.00 |
| बी | मध्यम रेस्टोरेन्ट 201 से 300 वर्ग फीट तक | प्रतिमाह | 1,050.00 |
| सी | 301 वर्ग फीट से अधिक | प्रतिमाह | 1,400.00 |
| डी | अस्थाई स्नेक फास्ट फूड विक्रेता | प्रतिमाह | 700.00 |
| 8 | **होटल/लाज/गेस्ट हाउस** | | |
| ए | 20 बेड तक | प्रतिमाह | 1,750.00 |
| बी | 21 से 40 बेड तक | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| सी | 41 से अधिक बेड | प्रतिमाह | 7,000.00 |
| डी | 1,000 वर्ग मीटर से अधिक (तीन सितारा व उससे अधिक) | प्रतिमाह | 14,000.00 |
| 9 | **धर्मशाला** | | |
| ए | अवातानुकुलित धर्मशाला | प्रतिमाह | 350.00 |
| बी | वातानुकूलित धर्मशाला | प्रतिमाह | 2,100.00 |
| 10 | मैरेज हाल | | |
| ए | 1,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 2,100.00 |
| बी | 1,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 4,900.00 |
| सी | 5,001 वर्ग मीटर से अधिक | प्रतिमाह | 10,500.00 |
| 11 | **बेकरी एवं मिठाई की दुकान** | | |
| ए | 100 वर्ग फीट से 999 वर्ग फीट तक | प्रतिमाह | 350.00 |
| बी | 1,000 वर्ग फीट से 1,999 वर्ग फीट तक | प्रतिमाह | 525.00 |
| सी | 2,000 वर्ग फीट से अधिक तक | प्रतिमाह | 700.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | रु0 |
| 12 | **कार्यालय (सरकारी/गैर सरकारी)** | | |
| ए | 50 कर्मचारी तक | प्रतिमाह | 175.00 |
| बी | 51 से 100 कर्मचारी तक | प्रतिमाह | 350.00 |
| सी | 101 से 300 कर्मचारी तक | प्रतिमाह | 525.00 |
| डी | 301 कर्मचारी से अधिक | प्रतिमाह | 700.00 |
| 13 | **स्कूल/शिक्षण संस्थान हास्टल सहित** | | |
| ए | 100 बेड तक | प्रतिमाह | 1,750.00 |
| बी | 100 बेड से अधिक | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| 14 | **स्कूल/शिक्षण संस्थान** | | |
| ए | 500 छात्र/छात्रा तक | प्रतिमाह | 1,050.00 |
| बी | 500 से अधिक छात्र/छात्रा | प्रतिमाह | 1,750.00 |
| 15 | **इन्जी0/एम0बी0ए0 व्यवसायिक शिक्षण संस्थान** | | |
| ए | 500 छात्र/छात्राओं तक | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| बी | 501 से 1,000 छात्र/छात्राओं तक | प्रतिमाह | 7,000.00 |
| सी | 1,001 से अधिक छात्र/छात्राओं तक | प्रतिमाह | 10,500.00 |
| 16 | **अस्पताल एवं नर्सिंग होम (चिकित्सकीय कूड़ा रहित)** | | |
| ए | 20 बेड तक | प्रतिमाह | 2,100.00 |
| बी | 21-40 बेड तक | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| सी | 41-100 बेड तक | प्रतिमाह | 7,000.00 |
| डी | 100 बेड से अधिक | प्रतिमाह | 10,500.00 |
| 17 | **क्लीनिक/पैथालाजी/एक्स–रे (चिकित्सीय कूड़ा रहित)** | | |
| ए | क्लीनिक | प्रतिमाह | 1,40.00 |
| बी | पैथालाजी/एक्स-रे | प्रतिमाह | 700.00 |
| 18 | **दुकान/चाय की दुकान** | | |
| ए | मोहल्ले की छोटी दुकान (न खाने योग्य) | प्रतिमाह | 70.00 |
| बी | मोहल्ले की छोटी दुकान (खाने योग्य) | प्रतिमाह | 175.00 |
| सी | वाणिज्यिक क्षेत्र में (न खाने योग्य) | प्रतिमाह | 105.00 |
| डी | वाणिज्यिक क्षेत्र में (खाने योग्य) | प्रतिमाह | 210.00 |
| 19 | **आवासीय दुकान** | | |
| ए | बिना खाद्य पदार्थों के | प्रतिमाह | 105.00 |
| बी | खाद्य पदार्थों के | प्रतिमाह | 210.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | रु0 |
| 20 | **शो–रुम** | | |
| ए | दुपहिया वाहन | प्रतिमाह | 700.00 |
| बी | दुपहिया वाहन वर्कशाप के साथ | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| सी | चार पहिया वाहन | प्रतिमाह | 1,400.00 |
| डी | चार पहिया वाहन वर्कशाप के साथ | प्रतिमाह | 7,000.00 |
| 21 | **माल/व्यावसायिक काम्पलैक्स** | | |
| ए | 1 से 1,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| बी | 1,001 से 2,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 7,000.00 |
| सी | 2,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 14,000.00 |
| डी | 5,001 वर्ग मीटर से अधिक | प्रतिमाह | 35,000.00 |
| 22 | **औद्योगिक ईकाई एवं उत्पादन संस्थाये** | | |
| 22-1 | **नान मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल यूनिट** | | |
| ए | 1 से 500 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 525.00 |
| बी | 501 से 1,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 700.00 |
| सी | 1,001 से 2,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 1,050.00 |
| डी | 2,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 1,750.00 |
| ई | 5,001 वर्ग मीटर से अधिक | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| 22-2 | **मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल यूनिट** | | |
| ए | 1 से 500 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 350.00 |
| बी | 501 से 1,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 525.00 |
| सी | 1,001 से 2,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 700.00 |
| डी | 2,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 1,400.00 |
| ई | 5,001 वर्ग मीटर से अधिक | प्रतिमाह | 2,100.00 |
| 23 | **कबाड़ी/रद्दी आदि का संग्रहण करने वाले** | | |
| ए | 1 से 50 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 175.00 |
| बी | 51 से 100 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 350.00 |
| सी | 101 से 200 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 700.00 |
| डी | 201 से 500 वर्ग मीटर तक | प्रतिमाह | 1,050.00 |
| ई | 501 वर्ग मीटर से अधिक | प्रतिमाह | 1,400.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | रु0 |
| 24 | जूस/गन्ने का जूस | प्रतिमाह | 350.00 |
| 25 | पब्लिक/प्राइवेट प्रदर्शनी/विवाह/प्रतियोगित आदि | प्रतिदिन | 350.00 |
| 26 | **पेट्रोल पम्प** | | |
| ए | पेट्रोल पम्प | प्रतिमाह | 350.00 |
| बी | पेट्रोल पम्प/सी0एन0जी0 पम्प सर्विस स्टेशन के साथ | प्रतिमाह | 1,750.00 |
| सी | सर्विस स्टेशन तथा मोटर गैरेज | प्रतिमाह | 1,400.00 |
| 27 | **डेयरी** | | |
| ए | 01 से 10 पशु तक | प्रतिमाह | 1,000.00 |
| बी | 11 से 20 पशु तक | प्रतिमाह | 2,000.00 |
| सी | 20 से अधिक पशु | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| 28 | **शराब की दुकान** | | |
| ए | केवल शराब की दुकान | प्रतिमाह | 1,400.00 |
| बी | कैन्टीन के साथ शराब की दुकान | प्रतिमाह | 3,500.00 |
| सी | बैंक | प्रतिमाह | 1,050.00 |

घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जायेगा। उक्त दरों की संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं दरों को रिक्शा ट्राली/आटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा/आटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

(5) संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट सम्बन्धित नगर निगम, गोरखपुर के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(6) होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपड़ी तथा इधर–उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जायेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रडेबल सब्सटेन्स के उद्गम स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अंतिम निस्तारण स्थल पर ले जायेगा।

(7) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई नही किया जायेगा। किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कार्यकाल की सुरक्षा के सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित व्यवस्था के साथ पूर्ण किया जायेगा।

(8) किसी भी व्यक्ति द्वारा जन सुविधा के लिये नगर निगम के वाहनों/कन्टेनरों/पार्कों इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये, कन्टेनर के भीतर ही कचरा डाला जायेगा, अन्यत्र कचरा नही डाला जाएगा।

(9) नगर निगम गोरखपुर कन्टेनर रहित व्यवस्था भी कर सकेगी। ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सड़क पर पड़ा नही रहे।

**8–नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन–**

अपशिष्ट का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भांति ढके हुये होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों प विखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डो को अपनाया जायेग–

(1) स्थापित भण्डारक सुविधा से प्रतिदिन कूड़ा कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आस-पास का क्षेत्र भी साफ सुधरा रखा जायेगा।

(2) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अंतिम व्ययन के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके।

9–नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण–

नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को उपयोगी बनाने के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके, के लिये निम्नलिखित मानदन्डो को अपनाया जा सकेगा–

(1) जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिये कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बात निरपेक्ष पाचन संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जा सकेगा जिससे नगर निगम स्वयं अपने स्तर से अथवा किसी अन्य संस्थाना को लाइसेन्स प्रदान कर बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ0टी0 पद्धति से कार्य करवा सकेगा।

(2) पुनः प्राप्त संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिये रिसायकलिंग प्रक्रिया अपनाते हुये विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिये इन्शोरेसन के साथ अथवा उसके बिना ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अन्य प्लान्ट और कई नवीनतम पद्धति है, तो स्वयं या सुविधा प्रचलित बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ0टी0 पद्धति पर स्थापित करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से तकनीकी अनुमोदन करवाकर किसी संस्था को अधिकृत लाइसेंस जारी कर सकेगा।

10–नगरीय ठोस, अपशिष्टों का व्ययन–

भूमि भरण में जैव अनिम्नकरणीय निष्क्रिय अपशिष्टों अथवा अन्य ऐसे अपशिष्टों को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिये समुचित है, निर्वाचित रखा जायेगा। भूमि भरण अपशिष्टों के प्रसंस्करण सुविधा से प्रसंस्करण पूर्व छूट गये अपशिष्टों से भी बचा जायेगा, जब तक उसे अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाये स्थापित किये जाने तक नगर निगम गोरखपुर अपने लैन्डफिल साइट पर निर्धारित मानदन्डो को अपनाते हुये भूमिकरण कर सकेगा।

11–अभियोजन/शास्तियों–

(1) इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा। बशर्ते की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो।

(2) ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधयों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व दी गयी किसी शास्ति, समपरव या किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधि कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

''अनुसूची – अ'':

| क्र0 सं0 | कृत्य | नगर निगम मा0 सदन द्वारा पारित दरें रुपये में |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु0 |
| 1 | आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर | 100.00 |
| 2 | दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर | 250.00 |
| 3 | रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा सार्वजनिक खुले में कचरा डालने पर | 500.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 4 | होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर | 1,000.00 |
| 5 | औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर | 2,000.00 |
| 6 | हलवाई, चाट, पकौड़ी, फ्रूट, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य सभी जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर | 1,000.00 |
| 7 | गोबर सार्वजनिक स्थानों में डालने पर/नाली अथवा सीवर में बहाने पर | 2,000.00 |
| 8 | निजी मकान दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोक ऐसी सरकारी भूमि पर डालने पर | 5,000.00 |
| 9 | निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी, कचरा मलवा गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर | 10,000.00 |
| 10 | सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारो व उनके गेटों पर किसी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दिवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर लगाने पर | 2,000.00 |
| 11 | बिना स्वीकृति के रोड/डिवाइडर काटने/गडढ़ा करने पर तथा नाली तुड़वाने की दशा में | 1,000.00 |
| 12 | क्रमांक 2 से 6 तक के वर्णित व्यावसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित करने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर | 500.00 |
| 13 | दुकानदार/ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठक स्कूटर एवं साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर। | 200.00 |
| 14 | मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे हुये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अन्डों के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तो में डालकर गन्दगी फैलाने पर | 1,500.00 |
| 15 | आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गदहा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर | 1,000.00 |
| 16 | शादी/विवाह स्थलों के खुले में कचरा डालने पर | 5,000.00 |
| 17 | आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर, खुले में भैंस, मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर | 5,000.00 |
| 18 | सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर | 200.00 |
| 19 | हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर | 200.00 |
| 20 | दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता सड़क अथवा दुकानों के सामने खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय, करने पर | 2,500.00 |
| 21 | आम रास्ता, सड़क, सड़क फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर | 1,000.00 |
| 22 | प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर फैलाने पर | 2,000.00 |
| 23 | सड़क के किनारे वाहन की धुलाई/डामर की सड़क पर पानी बहाने पर | 1,000.00 |
| 24 | ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा व कूड़ा डालने पर | 5,000.00 |

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।

## कार्यालय, नगर पंचायत कोड़ा, जहानाबाद, फतेहपुर

29 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 116/न0पं0को0जहा0/2020-21--उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कोड़ा, जहानाबाद, फतेहपुर के सीमान्तर्गत हेतु वाहन पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली, 2020 प्रस्तावित करती है। पड़ाव/अड्डा पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली, 2020 नगर पंचायत कोड़ा, जहानाबाद में लागू हेतु उपविधि का प्रकाशन दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 को समाचार-पत्र दोआबा वातों में कराया गया था। प्रकाशन के पश्चात् कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई पुनः किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति/सुझाव हो तो प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत कोड़ा, जहानाबाद में प्रेषित करना था समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तावित वाहन पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली, 2020 उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

पड़ाव अड्डा पार्किंग शुल्क की दरें-

1-बस-लारी शुल्क रु0 40.00 प्रतिदिन प्रति बस-लारी।

2-टैक्सी विक्रम, मैजिक रु0 20.00 प्रतिदिन प्रति टैक्सी-मैजिक।

3-ई-रिक्शा रु0 10.00 प्रतिदिन प्रति ई-रिक्शा।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निर्धारित शुल्क न अदा करेगा तो जुर्माना स्वरूप 500.00 (पांच सौ रुपया) देना होगा तथा कई दिन निर्धारित शुल्क न अदा करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

राबिया खातून,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कोड़ा जहानाबाद,
फतेहपुर।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स गुजेस्वरी अपैरल प्लाट नं0-92, नोएडा स्पेशल इकोनोमिक जोन नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर की साझेदारी में श्री रचित गोयल एवं सुश्री राशि गोयल थे। दिनांक 23 नवम्बर, 2020 को श्री राजीव गोयल जी सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 23 नवम्बर, 2020 को सुश्री राशि गोयल अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गयी हैं तथा अब वर्तमान में फर्म में श्री रचित गोयल एवं श्री राजीव गोयल साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रचित गोयल,
साझीदार।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राजकुमार कान्स्ट्रक्शन डी0एस0ओ0 कम्पाउण्ड कोट रोड, सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म सोसाइटी एण्ड चिट्स, क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर से दिनांक 21 जून, 2006 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में राजकुमार त्यागी व राजीव वालिया व प्रमोद कुमार पार्टनर थे, दिनांक 13 अगस्त, 2020 ई0 की डीड के अनुसार फर्म में राजीव वालिया व प्रमोद कुमार चले गये हैं। इसी दिनांक को फर्म में अनूप सिंह व सन्नी अरोडा नये पार्टनर शामिल हो गये। वर्तमान में फर्म में राजकुमार त्यागी, अनूप सिंह व सन्नी अरोडा रह गये हैं।

राजकुमार,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स राजकुमार कान्स्ट्रक्शन,
डी0एस0ओ0 कम्पाउण्ड, कोट रोड,
सहारनपुर, उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का नाम मेरे सर्विस रिकार्ड में भूलवश राम दुलारी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। पत्नी का सही नाम राम दुलारी देवी है, राम दुलारी व राम दुलारी देवी एक ही व्यक्ति का नाम है, भविष्य में मेरी पत्नी को राम दुलारी देवी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

राम कृपाल,
पुत्र स्व0 भगवानदीन,
निवासी 124/2ए जवाहर नगर,
काजीपुर रोड, नैनी, प्रयागराज।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सारंग इण्टरप्राइजेज, फ्लैट नं0 01, सिल्वर ओक अपार्टमेन्ट्स, ग्राउण्ड फ्लोर गोखले मार्ग, लखनऊ 226001 रजि0 नं0 198161 का पंजीकरण दिनांक 17 फरवरी, 2014 को कराया गया था जिसमें भानवी कुमारी प्रथम एवं यशोधन शेट्टी द्वितीय साझीदार थे, जिसमें द्वितीय साझेदार फर्म से हट गये हैं। जिनके स्थान पर अक्षय प्रताप सिंह आयु 47 वर्ष पुत्र श्री शिव प्रताप सिंह, निवासी बेन्ती कोठी, उपराहार, जिला प्रतापगढ़ को शामिल कर लिया गया है। जिसमें के द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। उक्त फर्म को 25 जुलाई, 2020 से संशोधित करके तीन साझेदारों को बढ़ाकर रखा गया है, जिसमें रोहित कुमार सिंह को तृतीय, अनिल कुमार सिंह को चतुर्थ एवं राम देव यादव को पांचवे साझेदार के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में भानवी कुमारी प्रथम, अक्षय प्रताप सिंह द्वितीय, रोहित कुमार सिंह तृतीय, अनिल कुमार सिंह चतुर्थ एवं राम देव यादव पांचवे साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं तथा फर्म का स्थान परिवर्तित करके मुख्य स्थल बी 5/15 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 उ0प्र0 कर दिया गया है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

भानवी कुमारी,
साझेदार,
मेसर्स सारंग इण्टरप्राइजेज, फ्लैट नं0 01,
सिल्वर ओक अपार्टमेन्ट्स, ग्राउण्ड फ्लोर,
गोखले मार्ग, लखनऊ-226001।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "श्री बजरंग स्टोन", आर-71, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ रजिस्ट्रेशन संख्या 192642 का पंजीकरण दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को कराया गया था तथा संशोधन 15 फरवरी, 2016 हुआ था, जिसमें सुरेश प्रताप सिंह एवं विकास सिंह साझीदार थे। उक्त फर्म के द्वितीय साझीदार विकास सिंह दिनांक 24 नवम्बर, 2020 से स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं। जिनके स्थान पर जितेन्द्र बहादुर सिंह आयु 63 वर्ष पुत्र श्री सत्य नारायण सिंह, निवासी 305/का, गाय घाट रोड, दहिलामऊ उत्तरी, दहिलामऊ, जिला प्रतापगढ़ 230001 को शामिल कर लिया गया है। जिसमें के द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में सुरेश प्रताप सिंह प्रथम एवं जितेन्द्र बहादुर सिंह द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं तथा फर्म का स्थान परिवर्तित करके मुख्य स्थल, फ्लैट नं0 502, टावर 10, अलकनंदा इन्कलेव, अवध विहार योजना, लखनऊ 226002 उ0प्र0 कर दिया गया है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सुरेश प्रताप सिंह,
साझेदार,
मेसर्स "श्री बजरंग स्टोन"
आर-71, नेहरू इन्क्लेव,
गोमतीनगर, लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।

मुद्रक और प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।